विशेष भर्ती विज्ञापन सं. 52/2025
संघ लोक सेवा आयोग द्वारा

निम्नलिखित पदों के लिए चयन द्वारा भर्ती हेतु
(वेबसाइट https://upsconline.nic.in के माध्यम से: *)
ऑनलाइन विशेष भर्ती विज्ञापन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं।

रिक्ति विवरण

1. (रिक्ति संख्या 25075201726) कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय में प्रवर्तन अधिकारी/लेखा अधिकारी के पद के लिए एक सौ छप्पन रिक्तियां।
आरक्षण की स्थिति :

(अना.-78, ईडब्ल्यूएस -01, अ.पि.व. -42, अ.जा.-23, अ.ज.जा. -12) (पीडब्ल्यूबीडी -09)। *

पीडब्ल्यूबीडी के लिए पद का आरक्षण/ उपयुक्तता:

* एक सौ छप्पन रिक्तियों में से, नौ रिक्तियाँ बेंचमार्क दिव्यांगता वाले व्यक्तियों (पीडब्ल्यूबीडी) की श्रेणी से संबंधित उम्मीदवारों के लिए आरक्षित हैं।

* बेंचमार्क दिव्यांगता वाले व्यक्तियों (पीडब्ल्यूबीडी) की श्रेणी से संबंधित उम्मीदवारों के लिए आरक्षित रिक्तियों में से पाँच रिक्तियाँ बेंचमार्क दिव्यांगता वाले व्यक्तियों (पीडब्ल्यूबीडी) की श्रेणी से संबंधित उम्मीदवारों जैसे दृष्टिहीन और अल्प दृष्टि की अक्षमता अर्थात दृष्टिहीन **(बी)** या अल्प दृष्टि **(एलवी)** के लिए आरक्षित है, तीन रिक्तियाँ बेंचमार्क दिव्यांगता वाले व्यक्तियों (पीडब्ल्यूबीडी) की श्रेणी से संबंधित उम्मीदवारों जैसे बधिर और ऊंचा सुनने की अक्षमता अर्थात बधिर **(डी)** या ऊंचा सुनने वाले **(एचएच)** के लिए आरक्षित है और शेष एक रिक्ति, बेंचमार्क दिव्यांगता वाले व्यक्तियों (पीडब्ल्यूबीडी) की श्रेणी से संबंधित उम्मीदवारों जैसे ऑटिज़्म, बौद्धिक अक्षमता, विशिष्ट अधिगम अक्षमता और मानसिक रोग संबंधी अक्षमता अर्थात् विशिष्ट अधिगम अक्षमता **(एसएलडी)** या मानसिक रोग **(एमआई)**, बहुविध अक्षमताओं **(एमडी)** अर्थात् उपर्युक्त अक्षमताओं की श्रेणियों में से कम से कम दो अक्षमताओं वाले उम्मीदवारों के लिए आरक्षित है।

यह रिक्तियां बेंचमार्क विकलांगता (पीडब्ल्यूबीडी) वाले व्यक्तियों की श्रेणी से संबंधित उम्मीदवारों जैसे दृष्टिहीन और अल्प दृष्टि की अक्षमता अर्थात दृष्टिहीन **(बी)** या अल्प दृष्टि **(एलवी)**, बधिर और ऊंचा सुनने की अक्षमता अर्थात् बधिर **(डी)** या ऊंचा सुनने वाले **(एचएच)**, पीड़ित, मांसपेशीय दुर्विकास, रीढ़ की हड्डी में विकृति और रीढ़ की हड्डी में चोट बिना किसी न्यूरोलॉजिकल/अंग शिथिलता की अक्षमता के साथ अर्थात् दोनों पैर प्रभावित परंतु हाथ नहीं **(बीएल)** या दोनों हाथ प्रभावित **(बीए)** या एक पैर प्रभावित (दांया या बांया) **(ओएल)** या एक हाथ प्रभावित (दांया या बांया) **(ओए)** या एक पैर एक हाथ प्रभावित **(ओएलए)** या प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात **(सीपी)** या कुष्ठरोग उपचारित **(एलसी)** या बौनापन **(डीडब्ल्यू)** या तेजाबी हमले से पीड़ित **(एएवी)**, या बिना किसी न्यूरोलॉजिकल/अंग शिथिलता के रीढ़ की हड्डी में विकलांगता **(एसडी)** या बिना किसी न्यूरोलॉजिकल/अंग शिथिलता के रीढ़ की हड्डी में चोट **(एसआई)**, ऑटिज्म, बौद्धिक अक्षमता, विशिष्ट अधिगम अक्षमता और मानसिक रोग संबंधी अक्षमता अर्थात् विशिष्ट अधिगम अक्षमता **(एसएलडी)** या मानसिक रोग **(एमआई)**, बहुविध अक्षमताओं **(एमडी)** अर्थात् उपर्युक्त दर्शाई गई अक्षमताओं की श्रेणियों में से कम से कम दो अक्षमताओं वाले उम्मीदवारों के लिए भी उपयुक्त हैं।

वेतनमान :
7वें केन्द्रीय वेतन आयोग के अनुसार वेतन मैट्रिक्स में **स्तर – 08**।

आयु:
अना./ईडब्ल्यूएस के लिए 30 वर्ष,
अ.पि.व. के लिए 33 वर्ष,
अ.जा./अ.ज.जा. के लिए 35 वर्ष और
पीडब्ल्यूबीडी के लिए 40 वर्ष।

अनिवार्य योग्यता:

शैक्षिक:

मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से किसी भी विषय में स्नातक डिग्री।

टिप्पणियां:

टिप्पणी: उम्मीदवारों के अन्यथा अर्हक होने की स्थिति में, कारणों का लिखित रूप में उल्लेख करते हुए, संघ लोक सेवा आयोग द्वारा विवेकानुसार योग्यताओं में छूट दी जा सकती है।

कार्य:

प्रवर्तन अधिकारी/लेखा अधिकारी के कार्यों के साथ-साथ प्रवर्तन, वसूली, लेखा, प्रशासन, नकदी, विधिक, पेंशन तथा कम्प्यूटर से संबंधित कार्यों को भी देखना है जिनमें सांविधिक तथा प्रशासनिक कार्य जैसे दावों का निपटान की जांच पड़ताल करना, सामान्य प्रशासन, नकदी बुक / प्रशासन का रखरखाव / कैश बुक का रख रखाव / बैंक विवरण का समाधान, मासिक आय योजना विवरणी आदि शामिल हैं ।

अन्य विवरण:

पद स्थायी है। समूह “ख”, अननुसचिवीय।

मुख्यालय:

नई दिल्ली

अन्य कोई शर्तें:

(i) कर्मचारी भविष्य निधि संगठन श्रम और रोजगार मंत्रालय के तहत एक वैधानिक निकाय और सेवा है।

(ii) किसी स्थायी सरकारी कर्मचारी का प्रवर्तन अधिकारी / लेखा अधिकारी के रूप में नियुक्त किए जाने पर मूल विभाग द्वारा उसके लिए लियन रखने की मांग किए जाने पर ईपीएफओ नियमानुसार दो वर्ष की अवधि के लिए यथा अनुमेय छुट्टियों का वेतन और पेंशन अंशदान का भुगतान कर सकता है । यदि वह अंतत अपने मूल विभाग में वापस लौटने का निर्णय लेता/लेती है तो इस प्रकार भुगतान की गई राशि संगठन को अधिकारी को कार्यमुक्त किए जाने से पूर्व वापस करनी होगी ।

2. (रिक्ति संख्या 25075202726) कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय में सहायक भविष्य निधि आयुक्त के पद के लिए चौहत्तर रिक्तियां।

आरक्षण की स्थिति:

(अना.-32, ईडब्ल्यूएस -07, अ.पि.व. -28, अ.जा. -07) (पीडब्ल्यूबीडी -03)*

पीडब्ल्यूबीडी के लिए पद का आरक्षण/ उपयुक्तता:

* चौहत्तर रिक्तियों में से, तीन रिक्तियाँ बेंचमार्क दिव्यांगता वाले व्यक्तियों (पीडब्ल्यूबीडी) से संबंधित उम्मीदवारों के लिए आरक्षित हैं।

* बेंचमार्क दिव्यांगता वाले व्यक्तियों (पीडब्ल्यूबीडी) से संबंधित उम्मीदवारों के लिए आरक्षित तीन रिक्तियों में से, एक रिक्ति बेंचमार्क दिव्यांगता वाले व्यक्तियों (पीडब्ल्यूबीडी) से संबंधित उम्मीदवारों जैसे बधिर और ऊंचा सुनने की अक्षमता अर्थात बधिर **(डी)** या ऊंचा सुनने वाले **(एचएच)** के लिए आरक्षित है। एक रिक्ति बेंचमार्क दिव्यांगता वाले व्यक्तियों (पीडब्ल्यूबीडी) से संबंधित उम्मीदवारों जैसे प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात सहित चलने में असमर्थ, कुष्ठ रोग उपचारित, बौनापन, तेजाबी हमले से पीड़ित और मांसपेशीय दुर्विकास, रीढ़ की हड्डी में विकृति और बिना किसी न्यूरोलॉजिकल/अंग शिथिलता के रीढ़ की हड्डी में चोट सहित विकलांगता अर्थात दोनों पैर प्रभावित लेकिन हाथ नहीं **(बीएल)** या दोनों हाथ प्रभावित **(बीए)** या एक पैर प्रभावित (दांया या बांया) **(ओएल)** या एक हाथ प्रभावित (दांया या बांया) **(ओए)** या एक पैर और एक हाथ प्रभावित **(ओएलए)** या कुष्ट रोग उपचारित (एलसी) या बौनापन **(डीडब्ल्यू)** या तेजाबी हमले से पीड़ित **(एएवी)** या मांसपेशीय दुर्विकास **(एमडीवाई)** या बिना किसी न्यूरोलॉजिकल/अंग शिथिलता के रीढ़ की हड्डी में विकलांगता **(एसडी)** या बिना किसी न्यूरोलॉजिकल/अंग शिथिलता के रीढ़ की हड्डी में चोट **(एसआई)** के लिए आरक्षित है और शेष एक रिक्ति बेंचमार्क दिव्यांगता वाले व्यक्तियों (पीडब्ल्यूबीडी) से संबंधित उम्मीदवारों जैसे ऑटिज्म, बौद्धिक अक्षमता, विशिष्ट अधिगम अक्षमता और मानसिक रोग संबंधी अक्षमता अर्थात् मानसिक रोग **(एमआई)**, बहुविध अक्षमताओं **(एमडी)** अर्थात् उपर्युक्त दर्शाई गई अक्षमताओं की श्रेणियों में से कम से कम दो अक्षमताओं वाले उम्मीदवारों के लिए उपयुक्त है।

यह रिक्तियां बेंचमार्क विकलांगता (पीडब्ल्यूबीडी) वाले व्यक्तियों की श्रेणी से संबंधित उम्मीदवारों जैसे दृष्टिहीन और अल्प दृष्टि की अक्षमता अर्थात दृष्टिहीन **(बी)** या अल्प दृष्टि **(एलवी)**, बधिर और ऊंचा सुनने की अक्षमता अर्थात् बधिर **(डी)** या ऊंचा सुनने वाले **(एचएच)**, प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात सहित चलने में अक्षमता, कुष्ठरोग उपचारित, बौनापन, तेजाबी हमले से पीड़ित, मांसपेशीय दुर्विकास, रीढ़ की हड्डी में विकृति और रीढ़ की हड्डी में चोट बिना किसी न्यूरोलॉजिकल/अंग शिथिलता की अक्षमता के साथ अर्थात् दोनों पैर प्रभावित परंतु हाथ नहीं **(बीएल)** या दोनों हाथ प्रभावित **(बीए)** या एक पैर प्रभावित (दांया या बांया) **(ओएल)** या एक हाथ प्रभावित (दांया या बांया) **(ओए)** या एक पैर एक हाथ प्रभावित **(ओएलए)** या कुष्ठरोग उपचारित **(एलसी)** या बौनापन **(डीडब्ल्यू)** या तेजाबी हमले से पीड़ित **(एएवी)**, या मांसपेशीय दुर्विकास **(एमडीवाई)** या बिना किसी न्यूरोलॉजिकल/अंग शिथिलता के रीढ़ की हड्डी में विकलांगता **(एसडी)** या बिना किसी न्यूरोलॉजिकल/अंग शिथिलता के रीढ़ की हड्डी में चोट **(एसआई)**, ऑटिज्म, बौद्धिक अक्षमता, विशिष्ट अधिगम अक्षमता और मानसिक रोग संबंधी

अक्षमता अर्थात् मानसिक रोग **(एमआई)**, बहुविध अक्षमताओं **(एमडी)** अर्थात् उपर्युक्त दर्शाई गई अक्षमताओं की श्रेणियों में से कम से कम दो अक्षमताओं वाले उम्मीदवारों के लिए उपयुक्त हैं।

वेतनमान :
7वें केन्द्रीय वेतन आयोग के अनुसार वेतन मैट्रिक्स में **स्तर – 10**।

आयु:
अना./ईडब्ल्यूएस के लिए 35 वर्ष,
अ.पि.व. के लिए 38 वर्ष,
अ.जा. के लिए 40 वर्ष,
अ.ज.जा. के लिए 35 वर्ष और
पीडब्ल्यूबीडी के लिए 45 वर्ष।

अनिवार्य योग्यता:

शैक्षिक:

किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या समकक्ष की डिग्री ।

वांछनीय:

कंपनी कानून/श्रम कानून/लोक प्रशासन में डिप्लोमा।

टिप्पणियाँ:

टिप्पणी: उम्मीदवारों के अन्यथा अर्हक होने की स्थिति में, कारणों का लिखित रूप में उल्लेख करते हुए, संघ लोक सेवा आयोग द्वारा विवेकानुसार योग्यताओं में छूट दी जा सकती है।

कार्य:

सहायक भविष्य निधि आयुक्त के कार्यों के साथ-साथ प्रवर्तन, वसूली, लेखा, प्रशासन, नकदी, विधिक, पेंशन तथा कम्प्यूटर से संबंधित कार्यों को भी देखना है जिनमें सांविधिक तथा प्रशासनिक कार्य जैसे दावों का निपटान की जांच पड़ताल करना, सामान्य प्रशासन, नकदी बुक / प्रशासन का रखरखाव / कैश बुक का रख रखाव / बैंक विवरण का समाधान, मासिक आय योजना विवरणी आदि शामिल हैं ।

अन्य विवरण:

पद स्थायी है। समूह “क”, अननुसचिवीय।

मुख्यालय:

नई दिल्ली।

अन्य कोई शर्तें:

(i) कर्मचारी भविष्य निधि संगठन श्रम और रोजगार मंत्रालय के तहत एक वैधानिक निकाय और सेवा है।

(ii) किसी स्थायी सरकारी कर्मचारी का सहायक भविष्य निधि आयुक्त के रूप में नियुक्त किए जाने पर मूल विभाग द्वारा उसके लिए लियन रखने की मांग किए जाने पर कर्मचारी भविष्य निधि संगठन नियमानुसार दो वर्ष की अवधि के लिए यथा अनुमेय छुट्टियों का वेतन और पेंशन अंशदान का भुगतान कर सकता है । यदि वह अंतत अपने मूल विभाग में वापस लौटने का निर्णय लेता/लेती है तो इस प्रकार भुगतान की गई राशि संगठन को अधिकारी को कार्यमुक्त किए जाने से पूर्व वापस करनी होगी।

हिन्दी और अंग्रेजी पाठ में किसी प्रकार की विसंगति होने की स्थिति में अंग्रेजी पाठ मान्य होगा।

(महत्वपूर्ण)
उपर्युक्त पदों के लिए वेबसाइट https://upsconline.nic.in के माध्यम से चयन द्वारा सीधी भर्ती हेतु दिनांक **29-07-2025 (12 बजे मध्याह्न)** से ऑन-लाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं।
वेबसाइट https://upsconline.nic.in के माध्यम से ऑन-लाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि **18-08-2025** को **23.59 बजे** तक है।
सभी उम्मीदवारों की हर तरह से पात्रता निर्धारित करने की अंतिम तिथि ऑन-लाइन आवेदन जमा करने की निर्धारित अंतिम तिथि होगी। आवेदकों को सलाह दी जाती है कि वे ऑन-लाइन आवेदन में अपना संपूर्ण विवरण सावधानीपूर्वक भरें क्योंकि गलत विवरण प्रस्तुत करने से आयोग द्वारा उन्हें विवर्जित किए जाने के अलावा कंप्यूटर आधारित शार्टलिस्ट किए जाने की प्रक्रिया के दौरान उनका आवेदन पत्र अस्वीकार किया जा सकता है।
साक्षात्कार की तिथि, जिस दिन शार्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों को अपने ऑन-लाइन आवेदन पत्र के प्रिंट आउट सहित अन्य दस्तावेज संघ लोक सेवा आयोग में प्रस्तुत करने होंगे, की सूचना उम्मीदवारों को अलग से दी जाएगी।

***बेंचमार्क दिव्यांगता से प्रभावित व्यक्ति।**

टिप्पणियां :

क) उम्मीदवारों से अनुरोध है कि वे इस विज्ञापन के संबंध में केवल वेबसाइट https://upsconline.nic.in के माध्यम से ऑन-लाइन आवेदन से ही आवेदन करें और आवेदन प्रपत्र के लिए आयोग को न लिखें। उनसे यह भी अनुरोध है कि वे नीचे प्रकाशित तथा वेबसाइट https://upsconline.nic.in पर दिए गए पदों के विवरण एवं अनुदेशों को सावधानीपूर्वक पढ़ लें।

ख) *सभी मदों के सामने दर्शायी गई आयु सीमा सामान्य आयु सीमा है तथा उम्मीदवारों को उनके लिए आरक्षित रिक्तियों के संबंध में अर्थात् अ.जा./अ.ज.जा. उम्मीदवारों के लिए पाँच वर्ष तक, अ.पि.व. के उम्मीदवारों के लिए तीन वर्ष तक की आयु सीमा की छूट है। अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व. के उम्मीदवारों को निर्धारित प्रपत्र में जाति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। ***कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के कर्मचारियों के लिए भी आयु सीमा में 5 वर्ष तक की छूट है।** अन्य श्रेणियों के आवेदकों के लिए आयु संबंधी रियायत के लिए आवेदक कृपया "चयन द्वारा भर्ती हेतु उम्मीदवारों के लिए अनुदेश तथा अतिरिक्त सूचना" के संगत पैरा देखें।

ग) कोई उम्मीदवार सामुदायिक आरक्षण का लाभ पाने का पात्र केवल तभी होगा यदि उम्मीदवार की जाति, जिससे वह संबंधित है, को केन्द्र सरकार द्वारा जारी की गई आरक्षित समुदाय की सूची में शामिल किया गया हो। यदि कोई उम्मीदवार अपने आवेदन पत्र में यह अभिलेखबद्ध करता/करती है कि वह

अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व./ सामान्य श्रेणी से संबंधित है लेकिन बाद में आयोग को अपनी श्रेणी को बदलने के लिए अनुरोध करता/करती है तो ऐसे अनुरोध पर आयोग द्वारा विचार नहीं किया जाएग।

घ) **मुख्यालय** : नई दिल्ली, भर्ती किए गए अधिकारियों को भारत में कहीं भी तैनात किया जा सकता है।

ङ) **परिवीक्षा** : दो वर्ष।

च) **प्रवर्तन अधिकारियों/लेखा अधिकारियों** (उपर्युक्त मद संख्या 1) **और सहायक भविष्य निधि आयुक्त** (उपर्युक्त मद संख्या 2) के पदों पर भर्ती हेतु साक्षात्कार हेतु अभ्यर्थियों का चयन करने हेतु आयोग द्वारा एक कलम और पेपर/कागज़ आधारित **संयुक्त भर्ती परीक्षा (सीआरटी)** आयोजित की जाएगी। परीक्षा की तिथि बाद में संघ लोक सेवा आयोग की वेबसाइट पर सूचित की जाएगी।

छ) प्रवर्तन अधिकारियों/लेखा अधिकारियों (उपर्युक्त मद संख्या 1) **और सहायक भविष्य निधि आयुक्त** (उपर्युक्त मद संख्या 2) **के पदों के लिए संयुक्त भर्ती परीक्षा (सीआरटी) की योजना और पाठ्यक्रम निम्नानुसार है:-**

(I) <u>**योजना:**</u>

(i) परीक्षण की अवधि 2 घंटे की होगी।
(ii) सभी प्रश्नों के अंक समान होंगे।
(iii) परीक्षण बहुविकल्पीय उत्तरों सहित वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में होगी।
(iv) परीक्षण का माध्यम अंग्रेजी होगा।
(v) गलत उत्तरों के लिए दंड का प्रावधान होगा। प्रत्येक गलत उत्तरों के लिए उस प्रश्न के लिए निर्धारित कुल अंकों में से एक तिहाई अंक काट लिए जाएंगे। यदि किसी प्रश्न के लिए कोई उत्तर चिह्नित नहीं किया जाता है तो उस प्रश्न के लिए कोई दंड नहीं दिया जाएगा।

(II) **पाठ्यक्रम**:

परीक्षा के पाठ्यक्रम में मुख्यतः निम्नलिखित विषय शामिल हैं:-

i) सामान्य अंग्रेजी - उम्मीदवार की अंग्रेजी भाषा की समझ और शब्दों के प्रयोग का मूल्यांकन।

ii) भारतीय संस्कृति, विरासत और स्वतंत्रता आंदोलन।

iii) भारतीय अर्थव्यवस्था में विकासात्मक मुद्दे और वर्तमान रुझान।

iv) भारत का शासन और संविधान।

v) सामान्य विज्ञान और कंप्यूटर अनुप्रयोगों का अवसंरचनात्मक ज्ञान।

vi) प्रारंभिक गणित, सांख्यिकी और सामान्य मानसिक क्षमता।

vii) भारत के औद्योगिक संबंध, श्रम कानून और सामाजिक सुरक्षा।

viii) लेखाशास्त्र, लेखा परीक्षा और बीमा के सिद्धांत।

ix) राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएँ।

(III) वेटेज:

तत्काल भर्ती मामले में अंतिम योग्यता निर्धारित करने के लिए संयुक्त भर्ती परीक्षा (सीआरटी) के अंकों और साक्षात्कार के अंकों का वेटेज 75:25 के अनुपात में होगा।

विभिन्न श्रेणियों से संबंधित उम्मीदवारों के लिए साक्षात्कार हेतु उपयुक्तता के मानक निम्नानुसार निर्धारित किए गए हैं:-

सामान्य/ईब्ल्यूएस श्रेणी : 50 और उससे अधिक

अ.पि.व. : 45 और उससे अधिक (मानकों में ढील पर)

अ.जा./अ.ज.जा. : 40 और उससे अधिक (मानकों में ढील पर)

ज) संयुक्त भर्ती परीक्षण (सीआरटी) का आयोजन निम्नलिखित 78 केन्द्रों पर किया जाएगा:-

क्र.स.	केंद्र	क्र.सं.	केंद्र	क्र.सं.	केंद्र
1	अगरतला	28	गोरखपुर	55	पोर्टब्लेयर
2	आगरा	29	गुडगाँव	56	प्रयागराज (इलाहाबाद)
3	अहमदाबाद	30	ग्वालियर	57	पुदुचेरी
4	आइजोल	31	हैदराबाद	58	पुणे
5	अजमेर	32	इंफाल	59	रायपुर
6	अलीगढ	33	इंदौर	60	राजकोट
7	अल्मोडा (उत्तराखंड)	34	ईटानगर	61	रांची
8	अनंतपुर	35	जबलपुर	62	संबलपुर
9	औरंगाबाद (महाराष्ट्र)	36	जयपुर	63	शिलांग
10	बरेली	37	जम्मू	64	शिमला
11	बेंगलुरु	38	जोधपुर	65	सिलीगुड़ी
12	भोपाल	39	जोरहाट	66	श्रीनगर

13	बिलासपुर (छत्तीसगढ़)	40	कोच्चि	67	श्रीनगर (उत्तराखंड)
14	चंडीगढ़	41	कोहिमा	68	सूरत
15	चेन्नई*	42	कोलकाता*	69	ठाणे
16	कोयंबत्तूर	43	कोझिकोड (कालीकट)	70	तिरुवनंतपूरम
17	कटक	44	लखनऊ	71	तिरुचिरापल्ली
18	देहरादून	45	लुधियाना	72	तिरुपति
19	दिल्ली	46	मदुरै	73	उदयपुर
20	धर्मशाला (हिमाचल प्रदेश)	47	मंडी (हिमाचल प्रदेश)	74	वाराणसी
21	धारवाड़	48	मुंबई	75	वेल्लोर
22	दिसपुर*	49	मैसूर	76	विजयवाड़ा
23	फरीदाबाद	50	नागपुर*	77	विशाखापत्तनम
24	गंगटोक	51	नासिक	78	वारंगल
25	गौतम बुद्ध नगर	52	नवी मुंबई		
26	गया	53	पणजी (गोवा)		
27	गाज़ियाबाद	54	पटना		
	*खुले केंद्र				

संयुक्त भर्ती परीक्षा (सीआरटी) की तिथि और समय की सूचना उम्मीदवारों को संघ लोक सेवा आयोग की वेबसाइट पर यथासमय प्रदान की जाएगी। उपर्युक्त उल्लिखित संयुक्त भर्ती परीक्षा (सीआरटी) के केंद्र और आयोजन की तिथि में आयोग के विवेकानुसार बदलाव किया जा सकता है। आवेदक यह नोट कर लें कि **चेन्नई, दिसपुर, कोलकाता और नागपुर** को छोड़कर, प्रत्येक केंद्र को आवंटित उम्मीदवारों की संख्या सीमित होगी। केंद्रों का आबंटन "प्रथम आवेदन-प्रथम आबंटन" के आधार पर होगा और किसी विशेष केंद्र की क्षमता पूरी हो जाने पर, उसे स्थिर कर दिया जाएगा। जिन आवेदकों को सीमा के कारण अपनी पसंद का केंद्र नहीं मिल पाता है, उन्हें शेष केंद्रों में से एक केंद्र चुनना होगा। इसलिए, आवेदकों को सलाह दी जाती है कि वे जल्दी आवेदन करें ताकि उन्हें अपनी पसंद का केंद्र मिल सके।

नोट: उपरोक्त प्रावधान के बावजूद, आयोग परिस्थिति की माँग होने पर अपने विवेक से केंद्रों को बदलने का अधिकार सुरक्षित रखता है। **कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) में (I) प्रवर्तन अधिकारी/लेखा अधिकारी और (II) सहायक भविष्य निधि आयुक्त, 2025** के सभी भर्ती परीक्षा केंद्र अपने-अपने केंद्रों में बेंचमार्क दिव्यांगजनों के लिए संयुक्त भर्ती परीक्षा आयोजित करेंगे। संयुक्त भर्ती परीक्षा (सीआरटी) में शामिल होने वाले उम्मीदवारों को भर्ती परीक्षा (आरटी) की समय-सारिणी और स्थान/स्थानों के बारे में सूचित किया जाएगा। <u>उम्मीदवार नोट कर लें कि केंद्र परिवर्तन के किसी भी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा।</u>

i) महत्वपूर्ण टिप्पणियां

i) चयनित उम्मीदवारों से पदों के लिए अपने दावे के समर्थन में दस्तावेज़ प्रस्तुत करने के लिए कहा जाएगा। उनके दस्तावेज़ों की जाँच की जाएगी और पदों की सभी पात्रता शर्तों को पूरा करने वाले उम्मीदवारों को साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा।

ii) उम्मीदवारों को निर्देश दिए जाते हैं कि वे संयुक्त भर्ती परीक्षण (सीआरटी) अपने जोखिम पर देंगे अर्थात यह सत्यापित करने के बाद कि वे विज्ञापन में निर्धारित की गई पात्रता की सभी शर्तों को पूरा करते हैं और परीक्षण में उनका प्रवेश पूर्णत: 'अनंतिम' आधार पर होगा।

(ii) उम्मीदवारों को स्वयं प्रश्नों के उत्तर लिखना होगा। किसी भी परिस्थिति में उन्हें अपने उत्तर लिखने के लिए स्क्राइब की सहायता लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी। तथापि, दृष्टिहीन, चलने में असमर्थ (दोनों हाथ प्रभावित-बीए) और प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात की श्रेणी में बेंचमार्क दिव्यांगता से संबंधित व्यक्ति स्क्राइब की सुविधा लेने के पात्र होंगे। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा 2(द) के तहत यथापरिभाषित बेंचमार्क दिव्यांगता से संबंधित व्यक्तियों की अन्य श्रेणी के मामलें में, ऐसे उम्मीदवार स्क्राइब की सुविधा लेने के पात्र होंगे जिन्होंने **परिशिष्ट-V** में दर्शाए प्रपत्र के अनुसार सरकारी स्वास्थ्य सेवा संस्थान मुख्य चिकित्सा अधिकारी/सिविल सर्जन/चिकित्सा अधीक्षक से प्राप्त इस आशय का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया है कि संबंधित को लिखने की शारीरिक बाध्यता है तथा उसकी ओर से परीक्षण लिखने के लिए स्क्राईब की आवश्यकता है।

इसके अलावा, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा 2(ध) की परिभाषा के तहत कवर किए गए लेकिन उक्त अधिनियम की धारा 2 (द) की परिभाषा के तहत कवर नहीं किए गए निर्दिष्ट दिव्यांगता वाले व्यक्तियों के लिए अर्थात् 40% से कम दिव्यांगता वाले व्यक्ति तथा जिन्हें लिखने में कठिनाई आती है स्क्राइब की सुविधा प्राप्त करने के पात्र होंगे, बशर्ते कि संबंधित व्यक्ति ने **परिशिष्ट-VII** में निहित प्रपत्र के अनुसार सरकारी स्वास्थ्य सेवा संस्थान के सक्षम चिकित्सा प्राधिकारी से इस आशय का

प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया हो कि उसे लिखने की शारीरिक बाध्यता है और उसकी ओर से परीक्षण लिखने के लिए स्क्राइब आवश्यक है।

(iv) उम्मीदवारों को अपना स्क्राइब चुनने या आयोग से इसका अनुरोध करने का विवेकाधिकार है। स्क्राइब का विवरण अर्थात् चाहे अपना या आयोग का हो और यदि उम्मीदवार अपना स्क्राइब को लेकर आ रहे हैं तो स्क्राइब का विवरण ऑन-लाइन आवेदन करते समय **परिशिष्ट-VI** के प्रपत्र (40% दिव्यांगता या इससे अधिक वाले उम्मीदवारों के लिए) और **परिशिष्ट-VIII** (लिखने में कठिनाई होने वाले और 40% दिव्यांगता वाले उम्मीदवारों के लिए) के अनुसार मांगा जाएगा।

(v) आयोग के स्क्राइब के साथ-साथ स्वयं के स्क्राइब की योग्यता, परीक्षण के न्यूनतम योग्यता मानदंड से अधिक नहीं होगी। तथापि, स्क्राइब की योग्यता सदैव मैट्रिक या उससे अधिक होनी चाहिए।

(vi) दृष्टिहीन, चलने में असमर्थ (दोनों हाथ प्रभावित-बीए) और प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात की श्रेणी में बेंचमार्क दिव्यांगता वाले व्यक्ति संयुक्त भर्ती परीक्षण (सीआरटी) में 20 मिनट प्रति घंटे प्रतिपूरक समय के पात्र होंगे। बेंचमार्क दिव्यांगता वाले व्यक्तियों की अन्य श्रेणी के मामलें में, **परिशिष्ट-V** के प्रपत्र के अनुसार सरकारी स्वास्थ्य सेवा संस्थान के मुख्य चिकित्सा अधिकारी/सिविल सर्जन/चिकित्सा अधीक्षक से इस आशय का प्रमाण-पत्र कि सबंधित व्यक्ति को लिखने में शारीरिक बाध्यता है, प्रस्तुत करने पर ऐसे उम्मीदवार को यह सुविधा प्रदान की जाएगी।

इसके अलावा, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा 2(ध) की परिभाषा के तहत कवर किए गए लेकिन उक्त अधिनियम की धारा 2(द) की परिभाषा के तहत कवर नहीं किए गए निर्दिष्ट दिव्यांगता वाले व्यक्तियों के लिए, अर्थात् 40% से कम दिव्यांगता वाले व्यक्ति और **परिशिष्ट-VII** में दिए गए प्रपत्र के अनुसार सरकारी स्वास्थ्य सेवा संस्थान के सक्षम चिकित्सा प्राधिकारी से लिखित में इस आशय का प्रमाण-पत्र कि संबंधित व्यक्ति को लिखने में बाध्यता है, प्रस्तुत करने पर प्रतिपूरक समय प्रदान किया जाएगा।

(vii) यदि उनके द्वारा वांछित हो, पात्र उम्मीदवारों को स्क्राइब की सुविधा और/या प्रतिपूरक समय दिया जाएगा।

चयन द्वारा भर्ती के लिए उम्मीदवारों को अनुदेश और अतिरिक्त सूचनाएं :

1. नागरिकता

उम्मीदवार अनिवार्यत: या तो :-

(क) भारत का नागरिक हो, या

(ख) नेपाल की प्रजा हो, या

(ग) भूटान की प्रजा हो, या

(घ) भारत में स्थायी निवास करने के इरादे से 1 जनवरी 1962 से पहले भारत आया हुआ तिब्बती शरणार्थी हो, या

(ङ) भारतीय मूल का ऐसा व्यक्ति जो भारत में स्थायी निवास के इरादे से पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका या पूर्वी अफ्रीकी देशों जैसे केन्या, युगांडा, संयुक्त गणराज्य तंजानिया (पूर्व में टंगानिका और जंजीबार), जाम्बिया, मलावी, जायरे, इथियोपिया और वियतनाम से प्रवर्जन कर आया हो। किन्तु शर्त यह है कि उपर्युक्त श्रेणी (ख), (ग), (घ) और (ङ) से सम्बद्ध उम्मीदवार के पक्ष में भारत सरकार द्वारा पात्रता प्रमाण-पत्र जारी किया गया हो।

टिप्पणी: जिस उम्मीदवार के मामले में पात्रता का प्रमाण-पत्र आवश्यक है, आयोग द्वारा उसके आवेदन-पत्र पर विचार किया जा सकता है और नियुक्ति के लिए अनुशंसा किए जाने पर उसे अनंतिम रूप से नियुक्त भी किया जा सकता है बशर्ते कि भारत सरकार उसे आवश्यक प्रमाण-पत्र जारी कर दे।

2. आयु सीमाएं: इस पद के लिए आयु सीमा का उल्लेख उक्त विज्ञापन में किया गया है, विभिन्न श्रेणियों के लिए स्वीकार्य आयु संबंधी कतिपय रियायत के लिए कृपया छूट तथा रियायत संबंधी अनुदेश देखें।

3. न्यूनतम अनिवार्य योग्यताएं: सभी आवेदकों को विज्ञापन में विनिर्दिष्ट पद से संबंधित अनिवार्य अपेक्षाओं और अन्य शर्तों को अनिवार्यत: पूरा करना होगा। उन्हें सलाह दी जाती है कि आवेदन करने से पूर्व वे यह संतुष्टि कर लें कि वे विभिन्न पदों के लिए निर्धारित कम से कम अनिवार्य योग्यताओं को पूरा करते हों। पात्रता के संबंध में सलाह देने संबंधी किसी भी पूछताछ पर ध्यान नहीं दिया जाएगा।

टिप्पणी-I : निर्धारित अनिवार्य योग्यताएं न्यूनतम हैं और केवल इन योग्यताओं को पूरा कर लेने से ही उम्मीदवार साक्षात्कार हेतु बुलाए जाने के हकदार नहीं हो जाते।

टिप्पणी-II: प्राप्त आवेदन-पत्रों की संख्या अधिक होने पर, आयोग निम्नलिखित में से किसी एक या अधिक तरीकों से साक्षात्कार हेतु बुलाए जाने वाले उम्मीदवारों की संख्या को उपयुक्त सीमा तक कम कर सकता है :

(क) "वांछनीय योग्यता (वा.यो.) या किसी एक या सभी वांछनीय योग्यताओं के आधार पर यदि एक से अधिक वां.यो. निर्धारित है"।

(ख) विज्ञापन में निर्धारित न्यूनतम योग्यताओं की अपेक्षा उच्चतर शैक्षिक योग्यता के आधार पर।

(ग) विज्ञापन में निर्धारित संगत क्षेत्र में न्यूनतम अनुभव की अपेक्षा अधिक अनुभव के आधार पर।

(घ) अनिवार्य योग्यताएं प्राप्त करने के पहले या बाद के अनुभव को जोड़कर।

(ङ) ऐसे मामलों में भी अनुभव को शामिल करके जिनमें अनिवार्य योग्यता (अ.यो.) या वांछनीय योग्यता (वा.यो.) के लिए कोई अनुभव उल्लिखित नहीं है।

(च) भर्ती परीक्षा आयोजित करके।

इसलिए उम्मीदवारों को चाहिए कि वे संगत क्षेत्र में न्यूनतम शैक्षिक अर्हता से अधिक जो भी योग्यताएं तथा अनुभव रखते हों, उन सभी का उल्लेख करें।

टिप्पणी-III :-

महत्वपूर्ण	
(i)	चयन चाहे केवल साक्षात्कार द्वारा या भर्ती परीक्षा के बाद साक्षात्कार द्वारा किया जाए, साक्षात्कार के लिए उपयुक्तता का श्रेणीवार न्यूनतम स्तर साक्षात्कार के कुल 100 अंकों में से अना./ई.डब्ल्यू.एस.-50 अंक, अ.पि.व.-45 अंक, अ.जा. / अ.ज.जा./ पीडब्ल्यूबीडी-40 अंक होगा।
(ii)	जिन मामलों में भर्ती परीक्षण (आरटी) के बाद साक्षात्कार द्वारा चयन किया जाता है उनमें उम्मीदवार को दोनों चरणों, अर्थात 'भर्ती परीक्षण' के साथ-साथ 'साक्षात्कार' में भी अपनी संबंधित श्रेणी में उपयुक्तता का न्यूनतम स्तर प्राप्त करना होगा। आयोग द्वारा भर्ती परीक्षण मे मामले में उपयुक्तता का न्यूनतम स्तर मामले दर मामला निर्धारित किया जाएगा।

4. आवेदन शुल्क:

(क) उम्मीदवार (महिला/ अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / बेंचमार्क दिव्यांग उम्मीदवारों को छोड़कर जिन्हें शुल्क के भुगतान से छूट दी गई है) शुल्क के रूप में 25/-रु. (पच्चीस रूपए) की राशि एसबीआई की किसी भी शाखा में नकद रूप में या किसी भी बैंक की नेट बैंकिंग सुविधा के इस्तेमाल से या वीज़ा / मास्टर / रुपे / क्रेडिट / डेबिट कार्ड / यूपीआई भुगतान के माध्यम से जमा करा सकते हैं।

(ख) आवेदकों को **अंतिम तिथि तक अर्थात 18 अगस्त, 2025 को 23:59 बजे** तक उपलब्ध ऑनलाइन डेबिट/क्रेडिट कार्ड/यूपीआई भुगतान या इंटरनेट बैंकिंग भुगतान मोड का विकल्प चुनना होगा।

(ग) जो उम्मीदवार दोनों पदों के लिए आवेदन करना चाहते हैं, उन्हें 50/- रुपये (केवल पचास रुपये) का भुगतान करना होगा। तथापि, जो उम्मीदवार एकल पद के लिए आवेदन करना चाहते हैं, उन्हें 25/- रुपये (केवल पच्चीस रुपये) का भुगतान करना होगा।

(घ) अ.जा./अ.ज.जा./पीडब्ल्यूबीडी/किसी भी समुदाय की महिला उम्मीदवारों को कोई शुल्क देय नहीं होगा। अ.पि.व. के पुरूष उम्मीदवारों को शुल्क में "कोई छूट" नहीं होगी और उन्हें निर्धारित पूरा शुल्क अदा करना होगा।

(ङ) जो उम्मीदवार दोनों पदों के लिए आवेदन करना चाहते हैं, उन्हें 50/- रुपये (केवल पचास रुपये) का भुगतान करना होगा। तथापि, जो उम्मीदवार एकल पद के लिए आवेदन करना चाहते हैं, उन्हें 25/- रुपये (केवल पच्चीस रुपये) का भुगतान करना होगा।

(च) निर्धारित शुल्क न दिए जाने पर किसी भी आवेदन पत्र पर विचार नहीं किया जाएगा और उसे तुरंत निरस्त कर दिया जाएगा। इस प्रकार के निरसन के विरूद्ध किसी अभ्यावेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।

(ड़) एक बार अदा किए गए शुल्क को किसी भी परिस्थिति में वापिस नहीं लौटाया जाएगा और न ही किसी अन्य परीक्षा या चयन के लिए सुरक्षित रखा जाएगा।

5. रियायत और छूट:

(क) आपात कमीशन प्राप्त अधिकारियों (ईसीओ)/अल्पकालिक सेवा कमीशन प्राप्त अधिकारियों (ईसीओ/एसएससीओ) सहित भूतपूर्व सैनिकों और कमीशन प्राप्त अधिकारियों के मामले में ऊपरी आयु सीमा में पांच वर्ष की छूट दी जाएगी बशर्ते कि आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि को भूतपूर्व सैनिक द्वारा अनुप्रमाणन के बाद सशस्त्र सेना में की गई लगातार सेवा 6 माह से कम न हो। यह छूट ऐसे आपात कमीशन प्राप्त अधिकारियों/ अल्पकालिक सेवा कमीशन प्राप्त अधिकारियों को भी प्राप्त है जिन्होंने मिलिट्री सेवा में पाँच वर्ष की प्रारंभिक तैनाती अवधि पूरी कर ली है और जिनकी तैनाती अंतिम तिथि को पाँच वर्ष से और आगे बढ़ा दी गई है तथा जिनके मामलों में रक्षा मंत्रालय यह प्रमाण-पत्र जारी कर देता है कि चयन हो जाने के बाद नियुक्ति प्रस्ताव प्राप्त होने की तिथि से 3 महीने के भीतर उन्हें कार्यमुक्त कर दिया जाएगा। इस पैरे के अंतर्गत छूट का दावा करने वाले उम्मीदवारों को निर्धारित प्रपत्र में आयोग को एक प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।

टिप्पणी : केन्द्रीय सरकार के अधीन किसी सिविल पद पर पहले से नियमित रोजगार प्राप्त भूतपूर्व सैनिकों को, केन्द्रीय सरकार के अधीन किसी उच्चतर पद पर अथवा सेवा में कोई दूसरा रोजगार प्राप्त करने के लिए भूतपूर्व सैनिकों को यथा स्वीकार्य आयु सीमा में छूट का लाभ प्राप्त करने की अनुमति है। तथापि, ऐसे उम्मीदवार केन्द्रीय सरकार की नौकरियों में भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण का लाभ, यदि कोई हो, पाने के पात्र नहीं होंगे।

(ख) **उपर्युक्त (क) के तहत रियायत हेतु पात्र होने के लिए** संबंधित उम्मीदवारों को अपने आवेदन पत्रों के साथ इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा कि उन्हें रक्षा सेवाओं से मुक्त कर दिया गया है। ई.सी.ओ./एस.एस.सी.ओ. सहित भूतपूर्व सैनिक तथा कमीशन प्राप्त अधिकारियों के प्रमाण-पत्रों पर नीचे दर्शाए गए समुचित अधिकारियों द्वारा हस्ताक्षर किए जाने चाहिएं और रक्षा सेवाओं में उनकी सेवा अवधि का भी अभिलेखबद्ध किया जाना चाहिए:-

(i) ई.सी.ओ./एस.एस.सी.ओ. सहित कमीशन प्राप्त अधिकारियों के मामले में :-

सेना : कार्मिक सेवा निदेशालय, सेना मुख्यालय, नई दिल्ली।

नौसेना : कार्मिक सेवा निदेशालय, नौसेना मुख्यालय, नई दिल्ली।

वायु सेना : कार्मिक सेवा निदेशालय, वायु सेना मुख्यालय, नई दिल्ली।

(iii) नौसेना तथा वायु सेना के जूनियर कमीशन अधिकारी/अन्य रैंकों तथा समकक्ष पद के मामले में:-

सेना : विभिन्न रेजिमेंटों के रिकार्ड कार्यालयों द्वारा।

नौसेना : नौसेना रिकार्ड, मुंबई।

वायु सेना : वायु सेना रिकार्ड, नई दिल्ली।

(ग) केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के लिए आयु में छूट:

भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों के अनुसार केन्द्र/संघ शासित सरकार के कर्मचारियों को ऊपरी आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट है। (इसका अर्थ यह है कि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को अधिकतम 10 वर्ष की आयु सीमा में छूट है जिसमें आयु में 5 वर्ष की छूट उनकी संबंधित श्रेणियों से है। उसी प्रकार, अ.पि.व. के व्यक्तियों को अधिकतम 8 वर्ष की छूट है जिसमें अ.पि.व. के लिए आयु में 3 वर्ष की छूट शामिल है)। यह छूट केंद्र सरकार में 3 साल की निरंतर सेवा और उसी पद या संबद्ध कैडर में काम करने वाले सरकारी कर्मचारियों के लिए स्वीकार्य होगी और जहां यह स्थापित किया जा सकता है कि उस विशेष पद पर पहले से प्रदान की गई सेवा जिस पद पर भर्ती की जा रही है, उसके कर्तव्यों का कुशल निर्वहन करने के लिए उपयोगी होगी। इससे संबंधित निर्णय आयोग का होगा। उम्मीदवार जो केंद्र सरकार के कर्मचारी की श्रेणी से संबंधित होने का दावा करता है और इस प्रकार इस पैरा के तहत आयु में छूट की मांग करता है, उसे कार्यालय के लेटर हेड पर अपने नियोक्ता से **विज्ञापन की तिथि के बाद जारी किए गए** निर्धारित प्रोफार्मा में प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की आवश्यकता होगी कि वह नियमित रूप से नियुक्त केंद्र सरकार का कर्मचारी है और कैजुअल/तदर्थ/दैनिक मजदूरी/प्रति घंटा भुगतान/अनुबंध के आधार पर नियुक्त कर्मचारी नहीं है।

(घ) **बैंचमार्क दिव्यांग व्यक्तियों (पीडब्ल्यूबीडी) के लिए आयु सीमा में छूट:**

(i) केन्द्रीय सरकार के अंतर्गत (क) दृष्टिहीन और अल्पदृष्टि (ख) बधिर और ऊंचा सुनने वाले (ग) प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात सहित चलने में असमर्थ, कुष्ठ रोग उपचारित, बौनापन, तेजाबी हमले के पीड़ित तथा मांसपेशीय कुपोषण (घ) ऑटिज़्म, बौद्धिक अक्षमता, विशिष्ट लर्निंग अक्षमता तथा मानसिक रोग, (ङ) प्रत्येक दिव्यांगता के लिए चिह्नित पदों में बधिर-दृष्टिहीन सहित खंड (क) से (घ) के अंतर्गत आने वाले व्यक्तियों में से एकाधिक विकलांगता वाले व्यक्तियों के लिए उपयुक्त रूप से चिन्हित किए गए सभी सिविल पदों/सेवाओं पर सीधी भर्ती के मामले में ऊपरी आयु सीमा में 10 वर्ष की छूट (अ.जा./अ.ज.जा. उम्मीदवारों के लिए अधिकतम 15 वर्ष की छूट जिसमें 5 वर्ष की छूट का अभिप्राय उनसे संबंधित श्रेणियों के लिए है। इसी प्रकार अ.पि.व. उम्मीदवारों के लिए 13 वर्ष की छूट दी जाएगी जिसमें अ.पि.व. उम्मीदवार के लिए आयु में 3 वर्ष की छूट का अभिप्राय शामिल है), जो इस शर्त के अध्यधीन दी जाएगी कि अंतिम तिथि को आवेदक की आयु 56 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। दिव्यांग व्यक्तियों के लिए पद आरक्षित हो या नहीं, दोनों ही स्थिति में, दिव्यांग व्यक्तियों को आयु में छूट अनुमेय है, बशर्ते संबंधित पद दिव्यांगता की संगत श्रेणी के लिए उपयुक्त रूप से चिन्हित किया गया है।

(ii) न्यूनतम 40% अशक्तता वाले उम्मीदवारों को आयु सीमा में छूट अनुमेय होगी।

(iii) ऐसे अशक्त उम्मीदवार जो केन्द्रीय सरकार का कर्मचारी होने के कारण आयु में छूट के हकदार हैं, उन्हें 'अशक्त उम्मीदवार' या 'केन्द्रीय सरकार के कर्मचारी' जो भी उनके लिए अधिक लाभदायक हो, के रूप में ही रियायत मिलेगी।

(iv) ऐसे पद/सेवा के लिए उक्त प्रावधान लागू नहीं होंगे जिनमें अधिसूचना द्वारा आयु में छूट के लिए अन्य विशिष्ट प्रावधान किया गया हो।

(v) आयु में छूट के प्रयोजनार्थ दिव्यांगता की विभिन्न श्रेणियों की परिभाषा "दिव्यांग अधिकार अधिनियम (आरपीडब्ल्युडी), 2016" अधिनियम की अनुसूची {धारा-2 का खण्ड(22)} के अनुसार होगी।

(ङ) बेंचमार्क दिव्यांगता वाले व्यक्तियों (पीडब्ल्यूबीडी) के लिए आरटी/सीबीआरटी में शामिल होने वाले उम्मीदवारों के लिए स्क्राइब की सुविधा:

(i) उम्मीदवारों को स्वयं प्रश्नों के उत्तर लिखना होगा। किसी भी परिस्थिति में उन्हें स्क्राइब की सहायता से उत्तर लिखने की अनुमति नहीं दी जाएगी। तथापि दृष्टिहीन, चलने में असमर्थ (दोनों हाथ प्रभावित-बीए) और प्रमस्तष्कीय पक्षाघात की श्रेणियों में बेंचमार्क दिव्यांग व्यक्ति स्क्राइब की सुविधा के पात्र हैं। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा 2 (द) के तहत यथापरिभाषित बेंचमार्क दिव्यांग व्यक्तियों की अन्य श्रेणियों के मामले में उन्हें स्क्राइब की सुविधा **परिशिष्ट-V** में दिए गए प्रमाणपत्र प्रपत्र में सरकारी स्वास्थ्य देखभाल संस्थान के मुख्य चिकित्सा अधिकारी/ सिविल सर्जन/ चिकित्सा अधीक्षक, से इस आशय का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर दिया जाएगा कि संबंधित व्यक्ति के पास लिखने की शारीरिक सीमा/बाध्यता है और उसकी ओर से लिखने हेतु स्क्राइब की सुविधा होना आवश्यक है।

इसके अलावा, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा 2(ध) की परिभाषा के तहत कवर किए गए, लेकिन उक्त अधिनियम की धारा 2(द) की परिभाषा के तहत कवर नहीं किए गए निर्दिष्ट दिव्यांग व्यक्तियों के लिए अर्थात् 40% से कम दिव्यांगता वाले व्यक्ति और लिखने में कठिनाई होने पर स्क्राइब की सुविधा प्राप्त करने का पात्र होगा, बशर्ते कि संबंधित व्यक्ति के पास **परिशिष्ट-VII** में दिए गए प्रपत्र में सरकारी स्वास्थ्य देखभाल संस्थान के सक्षम चिकित्सा प्राधिकारी से इस आशय का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर दिया जाएगा कि संबंधित व्यक्ति के पास लिखने की शारीरिक सीमा है और उसकी ओर से लिखने हेतु स्क्राइब की सुविधा होना आवश्यक है।

(ii) उम्मीदवारों को अपना स्क्राइब चुनने या इसके लिए आयोग से अनुरोध करने का विकल्प है। स्क्राइब का विवरण अर्थात स्वयं का अथवा आयोग का और यदि उम्मीदवार स्वयं स्क्राइब ला रहे हैं तो स्क्राइब का विवरण ऑन-लाइन आवेदन पत्र को भरते समय **परिशिष्ट-VI** के प्रपत्र के अनुसार मांगा जाएगा। (40% या अधिक दिव्यांगता वाले उम्मीदवारों के लिए) और **परिशिष्ट-VIII** (40% से कम दिव्यांगता और लिखने में कठिनाई होने वाले उम्मीदवारों के लिए)।

(iii) आयोग के स्क्राइब के साथ-साथ स्वयं के स्क्राइब की योग्यता परीक्षण के न्यूनतम योग्यता

मानदंड से अधिक नहीं होगी। तथापि, स्क्राइब की योग्यता हमेशा मैट्रिक या उससे ऊपर होनी चाहिए।

(iv) दृष्टिहीन, चलने में असमर्थ (दोनों हाथ प्रभावित-बीए) और प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात की श्रेणी में बेंचमार्क दिव्यांगता वाले व्यक्ति, भर्ती परीक्षण (आरटी) में 20 मिनट प्रति घंटे का प्रतिपूरक समय पाने के पात्र होंगे। बेंचमार्क दिव्यांगता वाले व्यक्तियों की अन्य श्रेणी के मामलें में, **परिशिष्ट-V** के प्रपत्र के अनुसार सरकारी स्वास्थ्य देखभाल संस्थान के मुख्य चिकित्सा अधिकारी/सिविल सर्जन/चिकित्सा अधीक्षक से इस आशय का कि सबंधित व्यक्ति को लिखने की शारीरिक बाध्यता है संबंधी प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर यह सुविधा प्रदान की जाएगी।

इसके अलावा, आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम, 2016 की धारा 2(ध) की परिभाषा के तहत कवर किए गए लेकिन उक्त अधिनियम की धारा 2(द) की परिभाषा के तहत कवर नहीं किए गए निर्दिष्ट दिव्यांग व्यक्तियों के लिए अर्थात् 40% से कम दिव्यांगता वाले व्यक्ति और **परिशिष्ट-VII** में दिए गए प्रपत्र के अनुसार सरकारी स्वास्थ्य सेवा संस्थान के सक्षम चिकित्सा प्राधिकारी से लिखित में इस आशय का प्रमाण-पत्र कि संबंधित व्यक्ति को लिखने की शारीरिक बाध्यता है, प्रस्तुत करने पर प्रतिपूरक समय प्रदान किया जाएगा।

(v) यदि उनके द्वारा वांछित हो, पात्र उम्मीदवारों को स्क्राइब की सुविधा और/या प्रतिपूरक समय दिया जाएगा।

6. (क) आवेदन किस प्रकार करें:

(i) अभ्यर्थियों को वेबसाइट https:// upsconline.nic.in के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करना होगा। किसी अन्य माध्यम से प्राप्त आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएँगे और सरसरी तौर पर रद्द कर दिए जाएँगे। आवेदन पत्र भरने के लिए विस्तृत निर्देश आयोग की वेबसाइट पर डाउनलोड -> "निर्देश और अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न" में उपलब्ध हैं।

(ii) **कृपया ऑनलाइन आवेदन पोर्टल के होम पेज पर दस्तावेज अपलोड करने के निर्देशों में दिए गए फोटोग्राफ अपलोड करने के संबंध में निर्देशों का पालन करें।**

iii) **महत्वपूर्ण**: उम्मीदवारों को ऑन-लाइन आवेदन में अपने सही और सक्रिय ई-मेल पते भरने की सलाह दी जाती है क्योंकि आयोग द्वारा सभी पत्राचार केवल ई-मेल के माध्यम से किए जाएंगे।

iv) ऑन-लाइन आवेदन जमा करने के बाद, उम्मीदवारों को अंतिम रूप से जमा किए गए ऑन-लाइन भर्ती आवेदन का प्रिंट आउट लेना आवश्यक है।

v) सार्वभौमिक (यूनिवर्सल) पंजीकरण (यूआरएन):

सार्वभौमिक (यूनिवर्सल) पंजीकरण जीवन में केवल एक बार ही करवाना होगा। **इसके बाद सार्वभौमिक (यूनिवर्सल) पंजीकरण में संशोधन या परिवर्तन की अनुमति नहीं होगी।** यह पूरे वर्ष में कभी भी किया जा सकता है। यदि उम्मीदवार पहले से पंजीकृत है, तो वह सीधे परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन भर सकता है।

vi) आवेदन जमा करने के पश्चात् उम्मीदवारों को अपना आवेदन वापस लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

vii) **उम्मीदवारों को अपने ऑनलाइन आवेदन पत्र के प्रिंटआउट या कोई अन्य दस्तावेज़ आयोग को डाक या दस्ती रूप से जमा करने की आवश्यकता नहीं है। साक्षात्कार के लिए बुलाए जाने पर उन्हें अपने ऑनलाइन आवेदन पत्र के प्रिंटआउट और नीचे पैरा 7 में उल्लिखित दस्तावेज़ साथ लाने होंगे।**

viii) उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे अंतिम तिथि की प्रतीक्षा न करके ऑन-लाइन भर्ती आवेदन पत्र समय रहते जमा करा दें।

ix) अभ्यर्थियों द्वारा उचित परिश्रम और सावधानी बरतते हुए भरे जाने वाले विवरणों को सही करने के संबंध में आयोग द्वारा किसी भी प्रश्न, अभ्यावेदन आदि पर विचार नहीं किया जाएगा, क्योंकि परीक्षा प्रक्रिया का समय पर पूरा होना अत्यंत महत्वपूर्ण है।

6 **(ख) उम्मीदवारों को उनके द्वारा ऑनलाइन आवेदन में दी गई जानकारी और संयुक्त भर्ती परीक्षा (सीआरटी) में उनके प्रदर्शन के आधार पर साक्षात्कार के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। उन्हें यह सुनिश्चित करना होगा कि ऐसी जानकारी सत्य है। यदि किसी भी बाद के चरण में या साक्षात्कार के समय उनके द्वारा दी गई कोई भी जानकारी या उनके द्वारा ऑनलाइन आवेदन में किया गया कोई भी दावा झूठा पाया जाता है, तो उनकी उम्मीदवारी खारिज कर दी जाएगी और उन्हें स्थायी रूप से या निर्दिष्ट अवधि के लिए प्रतिबंधित भी किया जा सकता है:**

- **आयोग अपने द्वारा आयोजित की जाने वाली किसी परीक्षण या चयन से।**
- **केन्द्र सरकार अपने अधीन आने वाले किसी भी रोजगार से विवर्जित कर सकती है।**

7. **साक्षात्कार के समय प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेज/प्रमाण-पत्र।**

ऑनलाइन आवेदन पत्र का प्रिंटआउट और निम्नलिखित मूल दस्तावेजों/प्रमाण-पत्रों के साथ उनकी स्व-प्रमाणित प्रतियां तथा बुलावा पत्र में साक्षात्कार के लिए दर्शाई गई अन्य सामग्री साक्षात्कार के समय प्रस्तुत करनी होगी। ऐसा न करने पर उम्मीदवार को साक्षात्कार में शामिल होने की अनुमति नहीं होगी। ऐसी स्थिति में ऐसे उम्मीदवार यात्रा खर्च के रूप में आयोग द्वारा दिए जाने वाले अंशदान के हकदार नहीं होंगे :-

(क) मैट्रिकुलेशन/10वीं स्तर या समकक्ष प्रमाण-पत्र जिसमें जन्मतिथि दर्शाई गई हो, या मैट्रिकुलेशन/10वीं स्तर की अंकतालिका या केन्द्र/राज्य बोर्ड द्वारा जारी किया गया समकक्ष प्रमाण-पत्र, जिसमें उनकी आयु के दावे के समर्थन में जन्मतिथि दर्शाई गई हो।

(ख) दावा की गई शैक्षिक योग्यताओं के प्रमाण के रूप में सभी शैक्षिक वर्षों की अंकतालिकाओं के साथ-साथ डिग्री/डिप्लोमा प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने होंगे। डिग्री/डिप्लोमा प्रमाणपत्र जमा न किए जाने की स्थिति में, सभी शैक्षिक वर्षों की अंकतालिकाओं के साथ अनंतिम प्रमाण-पत्र स्वीकार्य होगा।

(ग) अनिवार्य योग्यताओं के समकक्ष खंड के संबंध में यदि कोई उम्मीदवार यह दावा करता है कि कोई विशिष्ट योग्यता विज्ञापन के अनुसार अपेक्षित अनिवार्य योग्यता के समकक्ष है तो उम्मीदवार को उस प्राधिकरण के बारे में बताते हुए उस आदेश/पत्र की प्रति (संख्या तथा तिथि सहित) संलग्न करनी होगी जिसके अंतर्गत इसे उस रूप में स्वीकार किया गया हो।

(घ) दावा किए गए समग्र अनुभव के लिए निर्धारित प्रपत्र में संगठन (संगठनों) / विभाग (विभागों) के अध्यक्ष (अध्यक्षों) द्वारा दिए गए प्रमाण-पत्र, जिनमें स्पष्ट रूप से रोज़गार की अवधि (तिथि, मास तथा वर्ष), मूल वेतन तथा समेकित वेतन का अभिलेखबद्ध किया गया हो, की स्व-प्रमाणित प्रतियां। इस प्रमाण-पत्र (प्रमाण-पत्रों) में उक्त पद (पदों) पर किए गए कार्यों का स्वरूप/प्राप्त किए गए अनुभव की अवधि (अवधियों) का अभिलेखबद्ध भी किया जाना चाहिए। अनुभव प्रमाण-पत्र, पद से संगत निर्धारित प्रपत्र में जारी किया जाना चाहिए। यदि अनुभव संबंधी कोई प्रमाण-पत्र निर्धारित प्रपत्र में नहीं है लेकिन उसमें ऊपर दिए गए सभी विवरण शामिल हैं, तो आयोग उस पर गुण-दोष के आधार पर विचार करेगा।

(ङ) अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व. की हैसियत से आरक्षण का लाभ चाहने वाले उम्मीदवारों को सक्षम प्राधिकारी से निर्धारित प्रपत्र में जाति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा, जिसमें स्पष्ट रूप से उम्मीदवार की जाति, उस अधिनियम/आदेश का अभिलेखबद्ध किया गया हो जिसके अंतर्गत उसकी जाति को अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व. के रूप में मान्यता प्रदान की गई हो तथा उस गांव/शहर का नाम जहां वह सामान्यत: निवास कर रहा है।

(च) समुदाय प्रमाण पत्र (अ.पि.व) के अतिरिक्त, उम्मीदवार को आरक्षण चाहते हुए निर्धारित प्रारूप में एक घोषणापत्र करनी होगी कि वह महत्वपूर्ण तिथि पर क्रीमी लेयर में नहीं आते हैं। जब तक अन्यथा निर्दिष्ट न किया गया हो, पद के लिए ऑनलाइन भर्ती आवेदन प्राप्त करने की निर्धारित अंतिम तिथि को निर्णायक तिथि माना जाएगा।

(छ) कोई भी उम्मीदवार आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग आरक्षण का लाभ पाने के लिए केवल तभी पात्र होगा जब वह केंद्र सरकार द्वारा जारी मानदंडों को पूरा करता हो और उसके पास वित्तीय वर्ष (वित्तीय वर्ष) 2024-2025 के लिए आय के आधार पर अपेक्षित आय और संपत्ति प्रमाण पत्र हो और 01.04.2025 को/उसके बाद जारी किया गया हो (वित्तीय वर्ष 2024-25 के पूरा होने के बाद) लेकिन भर्ती परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र की अंतिम तिथि, अर्थात 18.08.2025 के बाद नहीं।

(ज) यदि किसी उम्मीदवार ने मैट्रिकुलेशन के बाद विवाह, पुनर्विवाह, तलाक या किसी अन्य कारण से अपना नाम बदल लिया है, तो उसे नाम परिवर्तन के प्रमाण के रूप में राजपत्र अधिसूचना प्रस्तुत करनी होगी।

(i) आयु में छूट के संबंध में प्रमाण पत्र/दस्तावेज:

i) ई.सी.ओ./एस.एस.सी.ओ. सहित भूतपूर्व सैनिक तथा कमीशन प्राप्त अधिकारियों के मामले में सक्षम प्राधिकारी से निर्धारित प्रपत्र में।

ii) केन्द्र सरकार/संघ शासित सरकार के कर्मचारियों के लिए विज्ञापन की तिथि के पश्चात सक्षम प्राधिकारी से निर्धारित प्रपत्र में जारी।

iii) वे व्यक्ति जो विशेष उपबंध/आदेश के अंतर्गत आयु में छूट प्राप्त करना चाहते हैं।

झ) वे व्यक्ति जो नैमित्तिक/तदर्थ/दैनिक वेतन/घंटेवार भुगतान/संविदा आधार से इतर स्थाई या अस्थायी आधार पर पहले से ही सरकारी सेवा में हैं उन्हें यह घोषणा प्रस्तुत करनी होगी कि उन्होंने अपने कार्यालय प्रधान/विभागाध्यक्ष को यह लिखकर दे दिया है कि उन्होंने उक्त पद पर चयन के लिए आवेदन किया है।

टिप्पणी I : ऑनलाइन भर्ती आवेदन में वर्णित जन्म की तिथि निर्णायक है। बाद में जन्म की तिथि में परिवर्तन संबंधी किसी भी अनुरोध पर कोई विचार नहीं किया जाएगा।

टिप्पणी II : *उम्मीदवारों की साक्षात्कार के लिए लघुसूची तैयार करने के लिए वैध अनुभव की गणना करते समय उम्मीदवार द्वारा अंशकालिक, दैनिक वेतन, विजिटिंग/अतिथि फैकल्टी आधार पर प्राप्त अनुभव की अवधि को गिना नहीं जाएगा।*

टिप्पणी III : यदि कोई दस्तावेज/प्रमाण-पत्र हिन्दी या अंग्रेजी से भिन्न किसी अन्य भाषा में प्रस्तुत किया जाता है तो उक्त का लिप्यन्तरण किसी राजपत्रित अधिकारी या नोटरी से विधिवत अभिप्रमाणित कराकर प्रस्तुत करना होगा।

8. कदाचार के दोषी पाए गए उम्मीदवारों के विरुद्ध कार्रवाई:

उम्मीदवारों को यह चेतावनी दी जाती है कि आवेदन-पत्र भरते समय न तो कोई झूठे विवरण प्रस्तुत करें, और न ही किसी महत्वपूर्ण सूचना को छिपाएं। उन्हें यह चेतावनी भी दी जाती है कि वे अपने द्वारा प्रस्तुत किसी प्रलेख या उसकी अनुप्रमाणित/प्रमाणित प्रति की किसी प्रविष्टि में कोई शोधन या परिवर्तन या अन्यथा फेरबदल नहीं करें तथा न ही वे फेरबदल किया गया/जाली प्रलेख प्रस्तुत करें। यदि दो या दो से अधिक दस्तावेजों के बीच अथवा उनकी अनुप्रमाणित/प्रमाणित प्रतियों में कोई असंगति या विसंगति हो तो इस विसंगति के बारे में उम्मीदवार को स्पष्टीकरण प्रस्तुत करना चाहिए।

उम्मीदवार निम्नलिखित के लिए आयोग द्वारा दोषी माना जाता है या घोषित किया गया है:

(क) जिसने किसी भी प्रकार से अपनी उम्मीदवारी के लिए समर्थन प्राप्त किया है, अथवा

(ख) नाम बदल कर परीक्षा दी है, अथवा

(ग) किसी अन्य व्यक्ति से छल से कार्य साधन कराया है, अथवा

(घ) जाली प्रलेख या ऐसे प्रलेख प्रस्तुत किए हैं जिनमें फेरबदल किया गया है, अथवा

(ङ) गलत या झूठे वक्तव्य दिए गए हैं या कोई महत्वपूर्ण सूचना छिपायी गई है, अथवा

(च) अपने चयन के लिए उम्मीदवारी हेतु किसी अन्य अनियमित अथवा अनुचित उपायों का सहारा लिया है, अथवा

(छ) परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग किया हो, अथवा

(ज) उत्तर पुस्तिका (ओं) पर असंगत बातें लिखी हों जो अश्लील भाषा में या अभद्र आशय की हों, अथवा

(झ) परीक्षा भवन में अन्य किसी भी प्रकार का दुर्व्यवहार किया हो, अथवा

(ञ) परीक्षा के संचालन के लिए आयोग द्वारा नियुक्त कर्मचारियों को परेशान किया हो या अन्य प्रकार की शारीरिक क्षति पहुंचाई हो, अथवा

(ट) परीक्षा हाल/साक्षात्कार कक्ष में मोबाइल फोन/संचार यंत्र लाया हो।

(ठ) पूर्वोक्त खंडों में विनिर्दिष्ट सभी अथवा किसी भी कार्य को करने का प्रयास किया हो या करने की प्रेरणा दी हो, जैसी भी स्थिति हो, तो उस पर आपराधिक अभियोग (क्रिमिनल प्रोसीक्यूशन) चलाया जा सकता है, और इसके साथ ही उसे–

(i) आयोग उस चयन से जिसका वह उम्मीदवार है अयोग्य ठहरा सकता है, और/अथवा

(ii) उसे स्थायी रूप से अथवा एक विशेष अवधि के लिए

- आयोग द्वारा ली जाने वाली किसी भी परीक्षा अथवा चयन से
- केन्द्रीय सरकार द्वारा अपने अधीन किसी भी नौकरी से विवर्जित किया जा सकता है, और

(iii) यदि वह सरकार के अधीन पहले से ही सेवा में है तो उसके विरूद्ध उपयुक्त नियमों के अधीन अनुशासनिक कार्रवाई की जा सकती है।

9. अन्य सूचना/अनुदेश:

(क) सभी उम्मीदवारों को चाहे वे पहले से सरकारी सेवा में हो या सरकारी स्वामित्व वाले औद्योगिक या इसी प्रकार के अन्य संगठनों में नियुक्त हों या प्राइवेट रोजगार में हों उन्हें अपना आवेदन-पत्र आयोग को सीधे ऑनलाइन भेजना चाहिए। जो व्यक्ति पहले से ही सरकारी नौकरी में स्थायी या अस्थायी हैसियत से नैमित्तिक/तदर्थ/दैनिक मजदूरी/घंटेवार भुगतान/संविदा आधार के कर्मचारी से इतर प्रभारी कर्मचारियों की हैसियत से काम कर रहे हैं, उन्हें यह घोषणा प्रस्तुत करनी होगी कि उन्होंने लिखित रूप से अपने कार्यालय/विभाग के प्रधान को सूचित कर दिया है कि उन्होंने इस चयन के लिए आवेदन किया है।

(ख) सभी उम्मीदवारों की हर तरह से पात्रता निर्धारित करने की अंतिम तिथि वेबसाइट https://upsconline.nic.in में दर्शाई गई ऑनलाइन भर्ती आवेदन प्रस्तुत करने की निर्णायक तिथि होगी।

(ग) अनिवार्य योग्यताओं के समकक्ष योग्यता खंड के संबंध में, यदि कोई उम्मीदवार किसी विशेष योग्यता को विज्ञापन की अपेक्षा के अनुसार किसी योग्यता के समकक्ष होने का दावा करता है तो उसे इस संबंध में वह आदेश/पत्र, जारी करने वाले प्राधिकारण का अभिलेखबद्ध (संख्या तथा तिथि) करना होगा जिसके अंतर्गत उक्त योग्यता को समकक्ष तौर पर स्वीकार किया गया हो अन्यथा ऑनलाइन भर्ती आवेदन पत्र को रद्द किया जा सकता है।

(घ) उम्मीदवारों से यदि अपेक्षा की गई तो उन्हें आयोग द्वारा निर्धारित स्थान पर वैयक्तिक साक्षात्कार के लिए अवश्य उपस्थित होना होगा। साक्षात्कार हेतु बुलाए गए उम्मीदवारों को आयोग कोई यात्रा खर्च और अन्य खर्च नहीं देता है। तथापि आयोग उम्मीदवार के निवास स्थान से निकटतम रेलवे स्टेशन से साक्षात्कार के स्थान तक अथवा जहां से उम्मीदवार वास्तव में यह यात्रा करता है, जो भी साक्षात्कार के स्थान से सबसे नजदीक पड़ता हो तथा वापसी उस स्थान तक अथवा उम्मीदवार द्वारा किए गए रेल किराए के वास्तविक खर्च, जो भी कम हो, के लिए द्वितीय श्रेणी के मेल रेल किराए की राशि के अनुरूप दर पर अंशदान देता है। इसका ब्यौरा उम्मीदवार को साक्षात्कार के लिए बुलाए जाने पर दिया जाएगा।

(ङ) जिन उम्मीदवारों का साक्षात्कार दिल्ली में होता है उन्हें उनके द्वारा किराये के लिए किये गये खर्चों का भुगतान आयोग द्वारा साक्षात्कार वाले दिन ही कर दिया जाएगा बशर्ते कि वे सारी शर्ते पूरी करतें हों। जिन उम्मीदवारों को दिल्ली से भिन्न अन्य स्थानों पर साक्षात्कार के लिए बुलाया गया है उन्हें उसका भुगतान बाद में मनीआर्डर द्वारा कर दिया जाएगा। जो उम्मीदवार आयोग के काउण्टर से नकद में यात्रा भत्ता प्राप्त नहीं करना चाहते है उनका यात्रा भत्ता उनके संबंधित खातों में भी भेजा जा सकता है। ऐसे उम्मीदवारों को अपने यात्रा भत्ते के दावे के साथ एक रद्द चेक भी जमा कराना होगा ताकि उन्हें यह सुविधा मिल सके।

(च) साक्षात्कार के लिए बुलाए जाने का अर्थ यह आश्वासन नहीं है कि उनका चयन कर लिया जाएगा। चयन किए गए उम्मीदवारों के नियुक्ति आदेश सरकार द्वारा जारी किए जाएंगे।

(छ) उम्मीदवार शारीरिक रूप से पूर्ण स्वस्थ होना चाहिए। चयन हो जाने पर उन्हें सरकार की अपेक्षानुसार स्वास्थ्य परीक्षा कराने के लिए तैयार रहना होगा और ऐसे चिकित्सा प्राधिकारी को संतुष्ट करना होगा।

(ज) उम्मीदवारों को अंतिम परिणाम के बारे में संघ लोक सेवा आयोग की वेबसाइट/रोज़गार समाचार के माध्यम से यथासमय सूचित कर दिया जाएगा और इसलिए परिणाम के बारे में की जाने वाली अंतरिम पूछताछ अनावश्यक है तथा इस पर कोई ध्यान नहीं दिया जाएगा। आयोग साक्षात्कार/नियुक्ति के लिए चयन न होने के कारणों के बारे में उम्मीदवारों से कोई पत्र व्यवहार नहीं करता है।

(झ) आयोग अपने विवेक से साक्षात्कार के दौरान विशेष योग्यता तथा अनुभव रखने वाले उम्मीदवारों को उच्चतर प्रारंभिक वेतन प्रदान कर सकता है।

(ञ) अपने पक्ष में किसी भी प्रकार की अनुयाचना करने से उम्मीदवार को अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा।

(ट) उम्मीदवार के पास एक फोटो पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड/वोटर कार्ड/पैन कार्ड/पासपोर्ट/ड्राइविंग लाइसेंस/राज्य/केंद्र सरकार द्वारा जारी कोई अन्य फोटो पहचान पत्र होना चाहिए। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरते समय उम्मीदवार को इस फोटो पहचान पत्र का विवरण प्रदान करना होगा। इस फोटो पहचान पत्र का उपयोग भविष्य में सभी संदर्भों के लिए किया जाएगा और उम्मीदवार को भर्ती परीक्षा (आरटी)/व्यक्तित्व परीक्षण में उपस्थित होने के दौरान इस फोटो पहचान पत्र को साथ रखने की सलाह दी जाती है।

ठ) आवेदकों को पहचान पत्र और अन्य विवरणों के आसान, सहज और निर्बाध सत्यापन और प्रमाणीकरण के लिए पहचान पत्र के रूप में अपने आधार कार्ड का उपयोग करने की दृढ़ता से सलाह दी जाती है।

ड) ऑनलाइन प्रश्न पत्र अभ्यावेदन पोर्टल (क्यूपीआरईपी)

आयोग उम्मीदवारों को परीक्षा तिथि के अगले दिन से सातवें दिन की शाम 6 बजे तक की समय-सीमा में परीक्षा के प्रश्नपत्रों में पूछे गए प्रश्नों पर आयोग के समक्ष अभ्यावेदन करने का अवसर प्रदान करता है। ऐसे अभ्यावेदन केवल **"ऑनलाइन प्रश्न पत्र अभ्यावेदन पोर्टल (क्यूपीआरईपी)"** के माध्यम से ही प्रस्तुत किए जाने चाहिए, जिसका URL https://upsconline.gov.in/miscellaneous/QPRep/ है। ईमेल/डाक/हाथ(स्वयं) या किसी अन्य माध्यम से कोई भी अभ्यावेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा और आयोग इस संबंध में अभ्यर्थियों के साथ कोई पत्राचार नहीं करेगा। 7 दिनों की इस अवधि के समाप्त होने के बाद किसी भी परिस्थिति में कोई भी अभ्यावेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।

महत्वपूर्ण

क) सरकार ऐसे कार्य बल के लिए प्रयासरत है जिससे महिला और पुरूष कार्मिकों का संतुलन प्रदर्शित हो और महिला उम्मीदवारों को आवेदन करने के लिए प्रोत्साहित करती है।

ख) "आवेदन पत्र भरते समय आवेदन प्रक्रिया या परीक्षा विवरण से संबंधित स्पष्टीकरण, मार्गदर्शन या सहायता चाहने वाले उम्मीदवार 011-24041001 पर हेल्पलाइन से संपर्क कर सकते हैं। यह हेल्पलाइन परीक्षा की अधिसूचना से लेकर जमा करने की अंतिम तिथि तक सभी कार्य दिवसों में सुबह 10:00 बजे से शाम 5:30 बजे तक कार्यरत रहेगी। आवेदक आवेदन प्रक्रिया से संबंधित किसी भी समस्या, जैसे पंजीकरण, शुल्क भुगतान, दस्तावेज़ अपलोड करना आदि के लिए इस सेवा का उपयोग कर सकते हैं।"

ग) ऑनलाइन आवेदन भरते समय किसी भी तकनीकी समस्या के मामले में, उम्मीदवार ईमेल आईडी: upscsoap@nic.in पर लिखकर आयोग से संपर्क कर सकते हैं।

घ) संघ लोक सेवा आयोग परीक्षा परिसर/साक्षात्कार कक्ष में मोबाइल फ़ोन/अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण/उपकरण प्रतिबंधित हैं।

ङ) उम्मीदवारों को परीक्षा के प्रत्येक सत्र के प्रारंभ होने से कम से कम 30 मिनट पहले परीक्षा स्थल पर पहुँचना होगा। किसी भी परिस्थिति में परीक्षा स्थल में देर से प्रवेश की अनुमति नहीं होगी।

परिशिष्ट-II

<u>ऑन-लाइन आवेदन भरने हेतु उम्मीदवारों के लिए निर्देश</u>

उम्मीदवारों को https://upsconline.nic.in वेबसाइट का उपयोग करके ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आवेदन पत्र भरने के लिए विस्तृत निर्देश आयोग की वेबसाइट पर "निर्देश और अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न" में डाउनलोड के लिए उपलब्ध हैं।

परिशिष्ट –III

आवेदन वापस लेने के लिए महत्वपूर्ण निर्देश

उम्मीदवारों को आवेदन करने के पश्चात उनका आवेदन वापस लेने के अनुमति नहीं होगी।

परिशिष्ट -IV

Special Instructions to Candidates for objective type tests

1. **Articles permitted inside Examination Hall**
Clip board or hard board (on which nothing is written), a good quality black ball pen for making responses on the Answer Sheet. Answer Sheet and sheet for rough work will be supplied by the Invigilator.

2. **Articles not permitted inside Examination Hall**
Do not bring into the Examination Hall any article other than those specified above, e.g., books, notes, loose sheets, electronic or any other type of calculators, mathematical and drawing instruments, Log Tables, stencils of maps, slide rules, Test Booklets and rough sheets pertaining to earlier session(s), etc.
Mobiles phones, pagers, bluetooth or any other communication devices are not allowed inside the premises where the examination is being conducted. Any infringement of these instructions shall entail disciplinary action including ban from future examinations.
Candidates are advised in their own interest not to bring any of the banned items including mobile phones/pagers/bluetooth to the venue of the examination, as arrangements for safekeeping cannot be assured.
Candidates are advised not to bring any valuable/costly items to the Examination Halls, as safe keeping of the same cannot be assured. Commission will not be responsible for any loss in this regard.
Penalty for wrong Answers

3. ***THERE WILL BE PENALTY (NEGATIVE MARKING) FOR WRONG ANSWERS MARKED BY A CANDIDATE IN THE OBJECTIVE TYPE QUESTION PAPERS.***

(i) There are four alternatives for the answer to every question. For each question for which a wrong answer has been given by the candidate, **one third (0.33)** of the marks assigned to that question will be deducted as penalty.

(ii) If a candidate gives more than one answer, it will be treated as a wrong answer even if one of the given answers happens to be correct and there will be same penalty as above for that question.

(iii) If a question is left blank i.e. no answer is given by the candidate, there will be **no penalty** for that question.

4. **Unfair means strictly prohibited**
No candidate shall copy from the papers of any other candidate nor permit his papers to be copied nor give nor attempt to give nor obtain nor attempt to obtain irregular assistance of any description.

5. **Conduct in Examination Hall**
No candidate should misbehave in any manner or create disorderly scene in the Examination Hall or harass the staff employed by the Commission for the conduct of the examination. Any such misconduct will be severely penalised.

6. **Answer Sheet particulars**
(i) Write in black ball pen your Centre and subject followed by test booklet series (in bracket), subject code and roll number at the appropriate space provided on the answer sheet at the top. Also encode your booklet series (A, B, C or D, as the case may be), subject code and roll number in the circles provided for the purpose in the answer sheet. The guidelines for writing the above particulars and for encoding the above particulars are given in Annexure. In case the booklet series is not printed on the test booklet or answer sheet is un-numbered, please report immediately to the Invigilator and get the test booklet/answer sheet replaced.
(ii) All corrections and changes in writing the roll number must be initialed by the candidates as well as by the Invigilator and countersigned by the Supervisor.
(iii) Immediately after commencement of the examination please check that the test booklet supplied to you does not have any unprinted or torn or missing pages or items etc. If so, get it replaced by a complete test booklet of the same series and subject.

7. Do not write your name or anything other than the specific items of information asked for, on the answer sheet/test booklet/sheet for rough work.

8. Do not fold or mutilate or damage or put any extraneous marking in the Answer Sheet. Do not write anything on the reverse of the answer sheet.

9. Since the answer sheets will be evaluated on computerised machines, candidates should exercise due care in handling and filling up the answer sheets. **They should use black ball pen only to darken the circles. For writing in boxes also, they should use black ball pen. Since the entries made by the candidates by darkening the circles will be taken into account while evaluating the answer sheets on computerised machines, they should make these entries very carefully and accurately.**

10. **Method of marking answers**
In the "OBJECTIVE TYPE" of examination, you do not write the answers. For each question (hereinafter referred to as "Item") several suggested answers (hereinafter referred to as "Responses") are given. You have to choose one response to each item.
The question paper will be in the Form of TEST BOOKLET. The booklet will contain item bearing numbers 1, 2, 3 .... etc. Under each item, Responses marked (a), (b), (c), (d) will be given. Your task will be to choose the correct response. If you think there is more than one correct response, then choose what you consider the best response.
In any case, for each item you are to select only one response. If you select more than one response, your response will be considered wrong.
In the Answer Sheet, Serial Nos. from 1 to 160 are printed. Against each numbers, there are circles marked (a), (b), (c) and (d). After you have read each item in the Test Booklet and decided which one of the given responses is correct or the best, **you have to mark your response by completely blackening with black ball pen to indicate your response.**
For example, if the correct answer to item 1 is (b), then the circle containing the letter (b) is to be completely blackened with black ball pen as shown below :-
Example : (a) ● (c) (d)

11. **Entries in Scannable Attendance List**
Candidates are required to fill in the relevant particulars with black ball pen only against their columns in the Scannable Attendance List, as given below:-
i) Blacken the circle [P] under the column [Present/Absent]
ii) Blacken the relevant circle for Test Booklet Series
iii) Write Test Booklet Serial No.
(iv) Write the Answer Sheet Serial No. and also blacken the corresponding circles below.
v) Append signature in the relevant column

12. Please read and abide by the instructions on the cover of Test Booklet. If any candidate indulges in disorderly or improper conduct, he will render himself liable for disciplinary action and/or imposition of a penality as the Commission may deem fit.

ANNEXURE

How to fill in the Answer Sheet of objective type tests in the Examination Hall

Please follow these instructions very carefully. You may note that since the answer sheets are to be evaluated on machine, any violation of these instructions may result in reduction of your score for which you would yourself be responsible.

Before you mark your responses on the Answer Sheet, you will have to fill in various particulars in it.

As soon as the candidate receives the Answer Sheet, he should check that it is numbered at the bottom. If it is found un-numbered he should at once get it replaced by a numbered one.

You will see from the Answer Sheet that you will have to fill in the top line, which reads thus :

केंद्र	विषय	विषय कोड		अनुक्रमांक	
Centre	**Subject**	**S.Code**	[ ][ ]	**Roll Number**	[ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]

If you are, say, appearing for the examination in Delhi Centre for the General Ability Test Papers* and your Roll No. is 0812769, and your test Booklet series is 'A' you should fill in thus, using black ball pen.

केंद्र	विषय	विषय कोड		अनुकमांक	
Centre Delhi	subject Mathe-matics (A)	S.Code	0 1	Roll Number	0 8 1 2 7 6 9

You should write with black ball pen the name of the centre and subject in English or Hindi.

The test Booklet Series is indicated by Alphabets A, B, C or D at the top right hand corner of the Booklet.

Write your Roll Numbers exactly as it is in your e-Admission Certificate with black ball pen in the boxes provided for this purpose. Do not omit any zero(s) which may be there.

The next step is to find out the appropriate subject code from the Time Table. Now encode the Test Booklet Series, Subject Code and the Roll Number in the circles provided for this purpose. Do the encoding with black ball pen. The name of the Centre need not be encoded.

Writing and encoding of Test Booklet Series is to be done after receiving the Test Booklet and confirming the Booklet Series from the same.

For Mathematics * subject paper of `A' Test Booklet Series you have to encode the subject code, which is 01. Do it thus:

पुस्तिका क्रम (ए) Booklet Series (A)	विषय Subject 0	1
●	●	⓪
Ⓑ	①	●
Ⓒ	②	②
Ⓓ	③	③
	④	④
	⑤	⑤
	⑥	⑥
	⑦	⑦
	⑧	⑧
	⑨	⑨

All that is required is to blacken completely the circle marked `A' below the Booklet Series and below the subject code blacken completely the Circles for "0" (in the first vertical column) and "1" (in the second vertical column). You should then encode the Roll No. 0812769. Do it thus similarly :

अनुकमांक
Roll Numbers

0	8	1	2	7	6	9
●	⓪	⓪	⓪	⓪	⓪	⓪
①	①	●	①	①	①	①
②	②	②	●	②	②	②
③	③	③	③	③	③	③
④	④	④	④	④	④	④
⑤	⑤	⑤	⑤	⑤	⑤	⑤
⑥	⑥	⑥	⑥	⑥	●	⑥
⑦	⑦	⑦	⑦	●	⑦	⑦
⑧	●	⑧	⑧	⑧	⑧	⑧
⑨	⑨	⑨	⑨	⑨	⑨	●

Important : Please ensure that you have carefully encoded your subject, Test Booklet series and Roll Number.

*This is just illustrative and may not be relevant to your Examination.

davp 55104/14/0012/1516

परिशिष्ट –V

परीक्षणर्थी को लिखने में शारीरिक बाध्यता के संबंध में प्रमाण-पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि मैंने श्री/सुश्री/श्रीमती .... (दिव्यांग उम्मीदवार का नाम), जो............... (दिव्यांगता प्रमाण-पत्र में उल्लिखित दिव्यांगता की प्रकृति और प्रतिशत) से ग्रस्त व्यक्ति हैं, पुत्र/पुत्री ...., निवासी .... (ग्राम/ जिला/राज्य) हैं, और प्रमाणित करता हूं कि इनकी शारीरिक बाध्यता, इनकी लिखने की क्षमता को बाधित करती है।

हस्ताक्षर

मुख्य चिकित्सा अधिकारी / सिविल सर्जन /
सरकारी स्वास्थ्य देखभाल संस्थान का चिकित्सा अधीक्षक

नोट : प्रमाण-पत्र, संबंधित विषय / दिव्यांगता (जैसे दृष्टि बाधित-नेत्र रोग विशेषज्ञ, चलने में असमर्थ - अस्थि रोग विशेषज्ञ / पीएमआर) के विशेषज्ञ द्वारा दी जानी चाहिए।

सरकार ऐसे कार्य बल के लिए प्रयासरत है जिसमें महिला और पुरूष कार्मिकों का संतुलन प्रदर्शित हो और महिला उम्मीदवारों को आवेदन करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।

परिशिष्ट – VI

स्वयं के स्क्राइब हेतु वचन पत्र
(आयोग हेतु आवेदक द्वारा ऑन-लाइन भरा जाएगा)

मैं ...., (दिव्यांगता का नाम) .... से पीड़ित उम्मीदवार जिसका अनुक्रमांक/यूआरएन/आवेदन संख्या .... है, (केन्द्र का नाम) जिला .... (राज्य का नाम), ..., (भर्ती परीक्षण का नाम) .... में बैठ रहा/रही हूँ। मेरी योग्यता .... है।

मैं एतद्द्वारा प्रमाणित करता/करती हूं कि .... (स्क्राइब का नाम) उपर्युक्त भर्ती परीक्षण (आरटी) के लिए अधोहस्ताक्षरी हेतु स्क्राइब/रीडर/प्रयोगशाला सहायक की सेवा प्रदान करेगा/करेगी।

मैं वचन देता/देती हूँ कि उनकी योग्यता ……………………. है। यदि, बाद में यह पाया जाता है कि उनकी योग्यता अधोहस्ताक्षरी द्वारा यथाघोषित नहीं है और मेरी योग्यता से अधिक है, तो मैं पद पर अपना अधिकार और उस पर अपना दावा खो दूँगा/दूँगी।

(दिव्यांग उम्मीदवार के हस्ताक्षर)

स्थान :

दिनांक:

सरकार ऐसे कार्य बल के लिए प्रयासरत है जिसमें महिला और पुरूष कार्मिकों का संतुलन प्रदर्शित हो और महिला उम्मीदवारों को आवेदन करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।

परिशिष्ट –VII

दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा 2(ध) के तहत कवर किए गए परंतु उक्त अधिनियम की धारा 2(द) की परिभाषा के तहत कवर नहीं किए गए विशिष्ट दिव्यांगता वाले व्यक्तियों अर्थात् 40% से कम दिव्यांगता वाले व्यक्ति तथा जिन्हें लिखने में कठिनाई होती है के लिए प्रमाण-पत्र।

यह प्रमाणित किया जाता है कि हमने श्री/सुश्री/श्रीमती .... (उम्मीदवार का नाम), पुत्र/पुत्री ....,निवासी .... (ग्राम/पोस्ट ऑफिस/पुलिस थाना/जिला/राज्य), आयु .... वर्ष की जांच की है जो .... (दिव्यांगता की प्रकृति/स्थिति) से ग्रस्त व्यक्ति हैं, और यह उल्लेख किया जाता है कि इनकी उक्त स्थिति इनके लिए बाधक है जो इनकी लेखन क्षमता को प्रभावित करती है। इन्हें परीक्षण लिखने के लिए स्क्राइब की सहायता की आवश्यकता है।

2. उक्त उम्मीदवार स्क्राइब की सहायता के साथ उपादानों एवं सहायक उपकरण जैसे प्रोस्थेटिक्स एवं ऑर्थोटिक्स, श्रवण यंत्र (नाम का उल्लेख करें) का उपयोग करता है, जो उम्मीदवार के लिए भर्ती परीक्षण (आरटी) में शामिल होने के लिए अनिवार्य हैं।

3. यह प्रमाण-पत्र, केवल भर्ती एजेंसियों और शैक्षिक संस्थाओं द्वारा आयोजित लिखित परीक्षणओं में शामिल होने के प्रयोजन हेतु जारी किया जाता है तथा यह दिनांक .... तक मान्य है (यह अधिकतम छह माह या इससे कम अवधि, जैसा भी चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित किया जाए, के लिए मान्य है।)

चिकित्सा प्राधिकारी के हस्ताक्षर

(हस्ताक्षर एवं नाम)	(हस्ताक्षर एवं नाम)	(हस्ताक्षर एवं नाम)	(हस्ताक्षर एवं नाम)	(हस्ताक्षर एवं नाम)
हड्डी रोग विशेषज्ञ/	नैदानिक मनोविज्ञानी (क्लीनिकल	न्यूरोलॉजिस्ट	ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट (यदि	अन्य विशेषज्ञ, अध्यक्ष द्वारा यथा

पीएमआर विशेषज्ञ	साइकोलॉजिस्ट)/ पुनर्वास मनोविज्ञानी (रिहैबिलिटेशन साइकोलॉजिस्ट)/मनोवैज्ञानिक/विशेष शिक्षक (स्पेशल एड्यूकेटर)	(यदि उपलब्ध है)	उपलब्ध है)	नामित (यदि कोई हो)
(हस्ताक्षर एवं नाम)				
मुख्य चिकित्सा अधिकारी/सिविल सर्जन/मुख्य जिला चिकित्सा अधिकारी …………………… अध्यक्ष				

मुहर सहित सरकारी अस्पताल/स्वास्थ्य सेवा
केन्द्र का नाम

स्थान :

दिनांक :

सरकार ऐसे कार्य बल के लिए प्रयासरत है जिसमें महिला और पुरूष कार्मिकों का संतुलन प्रदर्शित हो और महिला उम्मीदवारों को आवेदन करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।

<u>**परिशिष्ट-VIII**</u>

दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा 2(ध) के तहत कवर किए गए परंतु उक्त अधिनियम की धारा 2(द) की परिभाषा के तहत कवर नहीं किए गए विशिष्ट दिव्यांगता वाले व्यक्तियों अर्थात् 40% से कम दिव्यांगता वाले व्यक्ति तथा जिन्हें लिखने में कठिनाई होती है के संबंध में व्यक्ति द्वारा दिया गया वचन-पत्र।

मैं ...., ... (दिव्यांगता की प्रकृति/स्थिति) से ग्रसित एक उम्मीदवार हूं, जो .... (भर्ती परीक्षण (आरटी) का नाम) में अनुक्रमांक/ यूआरएन/आवेदन संख्या ...., ... (परीक्षण केन्द्र का नाम) ...., जिला............... (राज्य का नाम) में शामिल हो रहा हूं। मेरी शैक्षणिक योग्यता .... है।

2. मैं एतद्वारा प्रमाणित करता/करती हूं कि उक्त भर्ती परीक्षण (आरटी) को लिखने के लिए अधोहस्ताक्षरी की ओर से .... (स्क्राइब का नाम) स्क्राइब की सेवा प्रदान करेगा/करेगी।

3. मैं परिवचन देता/देती हूं कि इनकी योग्यता .... है, यदि बाद में यह पता चलता है कि इनकी योग्यता अधोहस्ताक्षरी की घोषणा के अनुसार नहीं है और मेरी योग्यता से अधिक है तो मैं इस पद के लिए अपने अधिकार या प्रमाण-पत्र/डिप्लोमा/डिग्री तथा अपने दावे का प्रयोग नहीं करूंगा/करुंगी।

(उम्मीदवार का हस्ताक्षर)

स्थान :

दिनांक :

हिन्दी और अंग्रेजी में किसी अर्थ भिन्नता की स्थिति में अंग्रेजी पाठ मान्य होगा।

नीचे दिए गए इस प्रोफार्मा या मीटेरियल को एसओएपी सिस्टम में / या उसके हिस्से में शामिल किया जाना है।

विशेष भर्ती विज्ञापन सं.52/2025-भर्ती, दिनांक : 26.07.2025

आवेदन प्राप्ति की प्रारंभिक तिथि: 29.07.2025 (दोपहर 12 बजे)

आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि: 18.08.2025 (रात्रि 11:59 बजे)

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ), 2025 में (I) प्रवर्तन अधिकारी/लेखा अधिकारी और (II) सहायक भविष्य निधि आयुक्त के पदों के लिए रिक्तियां

(आयोग की वेबसाइट: www.upsc.gov.in)

(आवेदन लिंक: https://upsconline.nic.in)

महत्वपूर्ण

1. भर्ती परीक्षण (आरटी) हेतु उम्मीदवार अपनी योग्यता सुनिश्चित करें:

सभी उम्मीदवारों (पुरुष/महिला/ट्रांसजेंडर) से अनुरोध है कि विज्ञापन को ध्यानपूर्वक पढ़ें। भर्ती परीक्षण (आरटी) के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वे भर्ती परीक्षण (आरटी) में बैठने हेतु सभी पात्रता की शर्तों को पूरा करते हैं। भर्ती परीक्षण (आरटी) के सभी चरणों में उनका प्रवेश निर्धारित पात्रता की शर्तों को पूरा करने के पूर्ण संतुष्टि के अध्यधीन पूर्णतः अनंतिम होगा। उम्मीदवार को केवल ई-प्रवेश पत्र जारी करने का अर्थ यह नहीं होगा कि आयोग द्वारा उसकी उम्मीदवारी को अंतिम रूप से मंजूरी दे दी गई है। आयोग साक्षात्का/व्यक्तित्व परीक्षा में उम्मीदवार द्वारा अर्हता प्राप्त करने के बाद ही मूल दस्तावेजों के संदर्भ में पात्रता शर्तों का सत्यापन करता है।

2. आवेदन कैसे करें:

उम्मीदवारों को वेबसाइट https://upsconline.nic.in का उपयोग करके ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आवेदन पत्र भरने के विस्तृत निर्देश आयोग की वेबसाइट पर "डाउनलोड" -> "निर्देश और अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न" में उपलब्ध हैं। परीक्षा के लिए आवेदन करने के इच्छुक उम्मीदवार को ऑनलाइन आवेदन करना होगा और आयोग द्वारा मांगी गई विभिन्न आवश्यकताओं, जैसे जन्मतिथि, शैक्षिक योग्यता आदि के संबंध में अपेक्षित जानकारी और सहायक दस्तावेज, सार्वभौमिक (यूनिवर्सल) पंजीकरण (सामान्य आवेदन पत्र

(सीएएफ़) सहित) और ऑनलाइन आवेदन पत्र के साथ जमा करने होंगे। सार्वभौमिक (यूनिवर्सल) पंजीकरण (सामान्य आवेदन पत्र (सीएएफ़) सहित) और ऑनलाइन आवेदन पत्र के साथ आवश्यक जानकारी/दस्तावेज उपलब्ध न कराने पर परीक्षा के लिए उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी।

सार्वभौमिक (यूनिवर्सल) पंजीकरण जीवन में केवल एक बार ही करवाना होगा। **इसके बाद सार्वभौमिक (यूनिवर्सल) पंजीकरण में संशोधन और परिवर्तन की अनुमति नहीं होगी।** यह पूरे वर्ष में कभी भी किया जा सकता है। यदि उम्मीदवार पहले से पंजीकृत है, तो वह परीक्षा के लिए सीधे ऑनलाइन आवेदन भर सकता/सकती है।

2.1 सार्वभौमिक (यूनिवर्सल) पंजीकरण (यूआरएन) में संशोधन:

सार्वभौमिक (यूनिवर्सल) पंजीकरण जीवन में केवल एक बार ही किया जाना है। इसके **बाद सार्वभौमिक पंजीकरण में संशोधन या परिवर्तन की अनुमति नहीं होगी।** यह पूरे वर्ष में कभी भी किया जा सकता है। यदि उम्मीदवार पहले से पंजीकृत है, तो वह सीधे परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन भर सकता है।

उम्मीदवारों के पास एक फोटो पहचान पत्र, जैसे आधार कार्ड / वोटर कार्ड / पैन कार्ड / पासपोर्ट / ड्राइविंग लाइसेंस / राज्य / केंद्र सरकार द्वारा जारी कोई अन्य फोटो पहचान पत्र, का विवरण होना चाहिए। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरते समय उम्मीदवार को इस फोटो पहचान पत्र का विवरण प्रदान करना होगा। इस फोटो पहचान पत्र का उपयोग भविष्य में सभी संदर्भों के लिए किया जाएगा, और उम्मीदवार को भर्ती परीक्षा (आरटी) / व्यक्तित्व परीक्षण के लिए उपस्थित होने के दौरान इस फोटो पहचान पत्र को साथ रखने की सलाह दी जाती है।

आवेदकों को सलाह दी जाती है कि वे पहचान पत्र और अन्य विवरणों के आसान, सरल और निर्बाध सत्यापन और प्रमाणीकरण के लिए अपने आधार कार्ड को पहचान पत्र के रूप में उपयोग करें।

3. आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि :

ऑन-लाइन आवेदन दिनांक **18 अगस्त, 2025 को 11:59 बजे** मध्याह्न तक भरा जा सकता है। पात्र उम्मीदवारों को भर्ती परीक्षण (आरटी) शुरू होने से तीन सप्ताह पहले ई-प्रवेश पत्र जारी किया जाएगा। उम्मीदवारों द्वारा डाउनलोड करने के लिए ई-प्रवेश पत्र सं.लो.से.आ. की वेबसाइट [https://upsconline.nic.in] पर उपलब्ध कराया जाएगा। डाक से कोई प्रवेश पत्र नहीं भेजा जाएगा।

4. गलत उत्तर के लिए दंड:

गलत उत्तर देने के लिए दंड होगा। प्रत्येक गलत उत्तर पर उस प्रश्न के लिए निर्धारित अंकों में से एक-तिहाई अंकों की कटौती की जाएगी। यदि किसी प्रश्न का कोई उत्तर चिन्हित नहीं किया गया है, तो उस प्रश्न के लिए कोई दंड नहीं होगा।

5. उम्मीदवारों के मार्गदर्शन के लिए सुविधा काउंटर/हेल्पडेस्क:

आयोग ने आवेदन करने वाले उम्मीदवारों की सहायता के लिए एक समर्पित हेल्पलाइन स्थापित की है। आवेदन प्रक्रिया या परीक्षा विवरण से संबंधित स्पष्टीकरण, मार्गदर्शन या सहायता चाहने वाले उम्मीदवार 011-24041001 पर हेल्पलाइन पर संपर्क कर सकते हैं। यह हेल्पलाइन सभी कार्य दिवसों में सुबह 10:00 बजे से शाम 5:30 बजे तक उपलब्ध रहेगी। आवेदक आवेदन प्रक्रिया से संबंधित किसी भी समस्या के लिए इस सेवा का उपयोग कर सकते हैं, जिसमें सार्वभौमिक पंजीकरण (सामान्य आवेदन पत्र (सीएएफ़) सहित), शुल्क भुगतान, दस्तावेज़ अपलोड करना आदि शामिल हैं।

6. मोबाइल फोन प्रतिबंधित:

(क) किसी भी मोबाइल फोन (स्विच ऑफ मोड (बंद अवस्था) में भी), पेजर या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण या प्रोग्रामेबल उपकरण या स्टोरेज मीडिया जैसे पेन ड्राइव, स्मार्ट वॉच आदि या कैमरा या ब्लू टूथ डिवाइस या किसी अन्य उपकरण या संबंधित सामान का उपयोग या तो चालू या स्विच ऑफ मोड में भर्ती परीक्षण (आरटी) के दौरान जिसे कम्यूनिकेशन डिवाइज के रूप में उपयोग किया जा सकता है, पूर्णत: वर्जित है।

(ख) इन निर्देशों का उल्लंघन करने पर भविष्य की भर्ती परीक्षण (आरटी) से प्रतिबंधित करने के साथ ही अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।

7. उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे भर्ती परीक्षण (आरटी) स्थल पर कोई मूल्यवान/महंगी वस्तुएं न लाएं, क्योंकि इनकी सुरक्षा सुनिश्चित नहीं की जा सकती। आयोग इस संबंध में किसी भी नुकसान के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

8. जो उम्मीदवार दोनों पदों के लिए आवेदन करना चाहते हैं, उन्हें 50/- रु. (केवल पचास रु.) का भुगतान करना होगा। तथापि, जो उम्मीदवार एकल पद के लिए आवेदन करना चाहते हैं, उन्हें 25/- रु. (केवल पच्चीस रु.) का भुगतान करना होगा

भर्ती परीक्षण के केंद्र : भर्ती परीक्षण निम्नलिखित केन्द्रों पर आयोजित किया जाएगा :

क्र.सं.	केंद्र	क्र.सं.	केंद्र	क्र.सं.	केंद्र
1	अगरतला	28	गोरखपुर	55	पोर्टब्लेयर
2	आगरा	29	गुडगाँव/गुरुग्राम	56	प्रयागराज (इलाहाबाद)
3	अहमदाबाद	30	ग्वालियर	57	पुडुचेरी
4	आइजोल	31	हैदराबाद	58	पुणे
5	अजमेर	32	इंफाल	59	रायपुर
6	अलीगढ	33	इंदौर	60	राजकोट
7	अल्मोडा (उत्तराखंड)	34	ईटानगर	61	रांची
8	अनंथपुरु	35	जबलपुर	62	सम्बलपुर
9	औरंगाबाद (महाराष्ट्र)	36	जयपुर	63	शिलांग
10	बरेली	37	जम्मू	64	शिमला
11	बेंगलुरु	38	जोधपुर	65	सिलीगुड़ी
12	भोपाल	39	जोरहाट	66	श्रीनगर
13	बिलासपुर (छत्तीसगढ़)	40	कोच्चि	67	श्रीनगर (उत्तराखंड)
14	चंडीगढ़	41	कोहिमा	68	सूरत
15	चेन्नई*	42	कोलकाता*	69	थाने
16	कोयंबत्तूर	43	कोझिकोड (कालीकट)	70	तिरुवनंतपुरम
17	कटक	44	लखनऊ	71	तिरुचिरापल्ली
18	देहरादून	45	लुधियाना	72	तिरुपति
19	दिल्ली	46	मदुरै	73	उदयपुर
20	धर्मशाला (हिमाचल प्रदेश)	47	मंडी (हिमाचल प्रदेश)	74	वराणसी
21	धारवाड़	48	मुंबई	75	वेल्लोर
22	दिसपुर*	49	मैसूरु	76	विजयवाड़ा
23	फरीदाबाद	50	नागपुर*	77	विशाखापटनम
24	गंगटोक	51	नासिक	78	वारंगल
25	गौतम बुद्ध नगर	52	नवी मुंबई		
26	गया	53	पणजी (गोवा)		
27	गाज़ियाबाद	54	पटना		
	*खुले केंद्र				

ऊपर उल्लिखित भर्ती परीक्षण केन्द्रों तथा तारीख में आयोग के विवेकानुसार परिवर्तन किया जा सकता है। आवेदक यह नोट कर लें कि चेन्नई, दिसपुर, कोलकाता और नागपुर को छोड़कर प्रत्येक परीक्षण केन्द्र पर

आबंटित उम्मीदवारों की अधिकतम संख्या सीमित होगी। परीक्षण केन्द्रों का आबंटन **'प्रथम आवेदन-प्रथम आबंटन'** आधार पर किया जाएगा तथा किसी केन्द्र विशेष की क्षमता पूरी हो जाने पर उसे 'स्थिर' कर दिया जाएगा। अधिकतम संख्या सीमित होने के परिणामस्वरूप अपने पंसद के परीक्षण केन्द्र को चुनने से वंचित रह जाने वाले उम्मीदवारों को शेष परीक्षण केन्द्रों में से चुनाव करना होगा। अत: उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे समय रहते आवेदन करें जिससे उन्हें अपना पंसद का परीक्षण केन्द्र मिल सके।

ध्यान दें: उपर्युक्त प्रावधान रहते हुए, आयोग को आवश्यक होने पर अपने विवेकानुसार परीक्षण केन्द्र में परिवर्तन करने का अधिकार है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफ़ओ), श्रम एवं रोजगार मंत्रालय में (i) प्रवर्तन अधिकारी/लेखा अधिकारी और (ii) सहायक भविष्य निधि आयुक्त, 2025 के पद हेतु सभी भर्ती परीक्षण केन्द्रों पर बैंचमार्क दिव्यांगता वाले उम्मीदवारों हेतु उनके संबंधित केंद्र में भर्ती परीक्षण की सुविधाएं उपलब्ध होंगी। भर्ती परीक्षण में प्रवेश दिए गए उम्मीदवारों को भर्ती परीक्षण की समय-सारणी एवं स्थान या स्थानों के विषय में सूचित कर दिया जाएगा। उम्मीदवारों को यह नोट कर लेना चाहिए कि परीक्षण केन्द्र में परिवर्तन संबंधी किसी भी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा।